



बिहार राज्य भण्डार निगम
(Bihar State Warehousing Corporation)
(दी वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन एक्ट 1962 के तहत स्थापित)

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या- **TH-04/2025-26**
Notice Inviting Tender (NIT) No.- TH-04/2025-26

बिहार में बिहार राज्य भंडार निगम अंतर्गत विभिन्न नवसृजित भंडारगृहों/ केन्द्रों/गोदामों हेतु
खाद्यान्न/उर्वरक के परिवहन एवं हथालन कार्य के लिये

प्रधान कार्यालय
ब्लॉक बी-2, प्रथम तल,
मौर्यलोक परिसर,
पटना।



बिहार राज्य भंडार निगम

बी -2, प्रथम तल, मौर्यलोक परिसर, पटना-800001
प्रबंध निदेशक का कार्यालय, पटना

BIHAR STATE WAREHOUSING CORPORATION
B-2, First Floor, Mauryalok Complex, Patna- 800 001
Office of the Managing Director, Patna

(ई-टेन्डर पद्धति के अनुसार, <https://eproc2.bihar.gov.in> पर)

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या – TH-04/2025-26

Notice Inviting Tender No. – TH-04/2025-26

बिहार राज्य भंडार निगम ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से दो बीड प्रणाली (तकनीकी एवं वित्तीय) के तहत बिहार राज्य में स्थित/संचालित भंडारगृहों/गोदामों/केन्द्रों के लिए अनुसूचित दर के आधार पर दो वर्ष की अवधि के लिए राज्याय और अन्तर्राज्याय परिवहन एवं हथालन कार्य हेतु परिवहन एवं हथालन (T&H) सम्वेदकों से वेबसाईट <https://eproc2.bihar.gov.in> पर खुली ई-निविदा आमंत्रित करता है।



कार्य/स्थल की विवरणी - बिहार राज्य के अंतर्गत भंडारगृहों/गोदामों/केन्द्रों के लिए परिवहन एवं हथालन का कार्य विवरणी।

कार्य का नाम:- परिवहन एवं हथालन कार्य

भंडार निगम प्रमंडल का नाम	भंडारगृह/केन्द्र का नाम	भंडारण क्षमता (मे. टन)	अनुमानित टर्न ओवर (रूपये में)	अग्रधन राशि (टर्न ओवर का 2% रूपये में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (GST 18% सहित)	बेल्ड्रॉन को देय राशि (Bid Processing Fee) (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7
मगध	ए.एन.रोड (औरंगाबाद)	6700	1,18,41,551.00	2,36,831.00	29,500.00	As per eproc 2
मुजफ्फरपुर	चापढाला (सीवान),	3020	1,18,41,551.00	2,36,831.00	29,500.00	As per eproc 2
	सराय (हाजीपुर)	4078	1,18,41,551.00	2,36,831.00	29,500.00	As per eproc 2
	छपिया (सीवान)	2660	1,18,41,551.00	2,36,831.00	29,500.00	As per eproc 2
पटना	बेना (बिहारशरीफ),	4200	1,18,41,551.00	2,36,831.00	29,500.00	As per eproc 2
	पतुत (बिहटा)	3344	1,18,41,551.00	2,36,831.00	29,500.00	As per eproc 2
पूर्णियाँ	राघोपुर (सुपौल)	5000	1,18,41,551.00	2,36,831.00	29,500.00	As per eproc 2
	सिंहेश्वर स्थान (मधेपुरा)	1815	1,18,41,551.00	2,36,831.00	29,500.00	As per eproc 2

नोट:- परिवहन एवं हथालन कार्य हेतु वर्तमान में संचालित होने वाले नये केन्द्रों/भंडारगृहों/गोदामों के टर्न ओवर का निविदा में निर्धारण पिछले वित्तीय वर्ष में कार्यरत न्यूनतम टर्न ओवर वाले पाँच केन्द्रों/भंडारगृहों/गोदामों के औसत टर्न ओवर के समतुल्य रखा गया है।

भंडारगृहों/केन्द्रों की संख्या में किसी भी तरह के परिवर्तन (बढ़ाने या घटाने दोनों ही मामले) का अधिकार बिना कोई कारण बताए प्रबंध निदेशक को होगा और इसकी सूचना <https://eproc2.bihar.gov.in> वेबसाईट पर ऑनलाईन शुद्धि पत्र के माध्यम से दी जायेगी। निविदा में किसी भी समय अंतिम तिथि के पहले तक किसी भी तरह का संशोधन या बदलाव करने एवं निर्णय का अधिकार प्रबंध निदेशक के पास सुरक्षित रहेगा।



बिहार राज्य भंडार निगम
बी-2, प्रथम तल, मौर्यलोक परिसर, पटना-1

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या- TH-04/2025-26
Notice Inviting Tender (NIT) No. – TH-04/2025-26

निविदा सारणी

1. निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का पदनाम : प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम, पटना
2. निविदा आमंत्रण की तिथि : दिनांक 23.03.2026
3. निविदा कागजात प्राप्त (डाउनलोड करने) की तिथि एवं समय : दिनांक 30.03.2026 को 11:00 बजे पूर्वाह्न से
4. प्री-बीड मीटिंग की तिथि/समय/स्थान : दिनांक 02.04.2026 को 12:30 बजे अपराह्न में सभागार कक्ष, बिहार राज्य भंडार निगम, मौर्यलोक, पटना
5. निविदा कागजात अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक 08.04.2026, 5:00 बजे संध्या तक
6. तकनीकी बीड खोलने की तिथि व समय : दिनांक 09.04.2026, को 11:00 बजे पूर्वाह्न
7. वित्तीय बीड खोलने की तिथि व समय : तकनीकी बीड के निष्पादन के पश्चात
8. निविदा बिक्री, प्राप्त एवं खोलने का स्थान : वेबसाइट (<https://eproc2.bihar.gov.in>)
9. निविदा वैधता की अवधि : 120 दिन (तकनीकी बीड खोलने की तिथि से)
10. निविदा स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी : प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम, पटना



निविदा में भाग लेने हेतु आवश्यक नियम/शर्त/निर्देश :

11.	निविदा प्रपत्र मात्र https://eproc2.bihar.gov.in वेबसाइट पर डाउनलोड और अपलोड किया जा सकता है। वर्तमान निविदा की विस्तृत जानकारी वेबसाइट https://eproc2.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है। निविदा से संबंधित जानकारी व्यवसाय शाखा, बिहार राज्य भंडार निगम, बी-2, प्रथम तल, मौर्यलोक परिसर, पटना के दूरभाष संख्या 0612-22225324/9931633541 पर भी कार्यालय अवधि में प्राप्त किया जा सकता है।	
12.	ई-निविदा में भाग लेने वाले इच्छुक संवेदक द्वारा ई-प्रोक्युरमेन्ट, eproc2 हेल्प डेस्क, mjunction services limited, RJ Complex, 2nd Floor, Canara Bank Campus, Khajpura, Ashiana Road, P.S. - Shastri Nagar, Patna 800014, Bihar (Toll Free Number: 1800 572 6571, Email Id: eproc2support@bihar.gov.in) पर संपर्क किया जा सकता है।	
13.	ई-निविदा में भाग लेने के इच्छुक संवेदको को ई-प्रोक्युरमेन्ट/बेल्ट्रान के साथ निबंधन कराना होगा। वेबसाइट पर आवश्यक निबंधन प्रपत्र उपलब्ध है। इस निबंधन से उन्हें User ID तथा Password मिलेगा। संवेदक को DSC (Digital Signature Certificate) भी प्राप्त करना होगा। User ID Password, DSC एवं इन्टरनेट के माध्यम से ही संवेदक ई-निविदा में भाग ले सकेंगे।	
14.	निविदादाता प्रत्येक कार्य के लिए अलग-अलग निविदा (तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा) समर्पित करेंगे तथा प्रत्येक कार्य हेतु अलग-अलग निविदा प्रपत्र का मूल्य (BOQ) और अग्रधन राशि (EMD) तथा Bid Processing Fee जमा करेंगे। निविदादाता विहित BOQ एवं EMD की राशि जमा कर साक्ष्य के रूप में भुगतान विवरणी की स्कैन कॉपी को तकनीकी बोली के साथ Upload करना सुनिश्चित करेंगे।	
15.	निविदा प्रपत्र का मूल्य (BOQ) Bid Processing Fee (गैर वापसीय) तथा अग्रधन राशि (EMD)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (BOQ) और अग्रधन राशि (EMD) तथा Bid Processing Fee का भुगतान मात्र Internet Payment Gateway (IPG)/Challan के माध्यम से https://eproc2.bihar.gov.in पर होगा।
16.	अग्रधन राशि का मूल्य संबंधित भंडारगृह/केन्द्र के पिछले दो (2) वर्ष के वार्षिक परिवहन एवं हथालन कार्य के टर्नओवर के दो प्रतिशत (2%) के समतुल्य होगा, जैसा कि इस निविदा कार्य विवरणी में अंकित है।	
17.	निविदा प्रपत्र मूल्य (BOQ) एवं Bid Processing Fee अप्रतिदेय (Non-Refundable) होगा। असफल निविदादाता के अग्रधन राशि की वापसी eproc2 के माध्यम से वापस हो जाएगी।	
18.	किसी भी निविदा को निविदादाता द्वारा संशोधित या वापस लिया जाता है, तो वैसी परिस्थिति में निविदादाता के निविदा को अस्वीकार करते हुए अग्रधन के रूप में जमा की गयी राशि को निविदा की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ही वापस करने पर विचार किया जा सकेगा।	
19.	निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार का शुद्धि पत्र https://eproc2.bihar.gov.in वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। निविदाकर्ता उक्त वेबसाइट पर प्रकाशित निविदा से संबंधित किसी भी अद्यतन	

	जानकारी को प्राप्त किया जा सकता है। जिसके लिए वे सतर्क और जागरूक रहेंगे।
20.	निविदाकर्ता निविदा से संबंधित सभी स्कैन कागजात पर क्रम संख्या डालकर उसे क्रमानुसार अपलोड करें, ताकि उन कागजात को आसानी से ढूंढा जा सके। सभी कागजात पर पृष्ठ संख्या अंकित करना आवश्यक है। सभी कागजातों को पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा निविदाकर्ता के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
21.	निविदाकर्ता को अपलोड किये गए निविदा से संबंधित सभी स्कैन कागजातों की सुस्पष्टता के बारे में स्वयं संतुष्ट होना चाहिए ताकि सुपाठ्य हो। सभी कागजातों पर निविदाकर्ता का हस्ताक्षर एवं मुहर आवश्यक है। इसका अनुपालन नहीं होने पर निविदा विचारणीय नहीं होगा एवं निरस्त किया जायेगा।
22.	निविदा कागजात अपलोड/डाउनलोड करने में इंटरनेट सेवाओं में बाधा के कारण त्रुटि रहने पर किसी भी कठिनाई पर विचार नहीं किया जाएगा और निगम जबावदेह नहीं होगा। निविदाकर्ताओं को सलाह है, कि निविदा अपलोड करने के दौरान किसी भी कठिनाई से बचने के लिए निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि से पूर्व ही निविदा संबंधी वांछित कागजात अपलोड कर दें, ताकि अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके।
23.	सशर्त निविदा किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा। इसे अस्वीकृत किया जायेगा तथा EMD की राशि जब्त की जायेगी।
24.	Discovered Rates ज्यादा होने की स्थिति में न्यूनतम बोलीदाता के साथ Post Tender Negotiation किया जा सकेगा।
25.	Bihar State Warehousing Corporation Staff Regulation के नियम 20(3) के प्रावधान के आलोक में निगम/विभाग से संबंधित कोई भी वरीय से कनीय पदाधिकारी/कर्मचारी स्वयं या उनके सगे-संबंधी निविदा में भाग लेने योग्य नहीं होंगे।
26.	निविदा खोलने के लिए तय तिथि को, यदि अवकाश घोषित किया जाता है, तो अवकाश के बाद अगले कार्य दिवस पर निविदा को निर्धारित समय पर खोला जाएगा।
27.	प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम, पटना परिस्थितिवश स्वविवेक पर, निविदा अवधि विस्तार कर सकते हैं।
28.	तकनीकी बोली (Technical Bid) में सफल निविदा का ही वित्तीय बोली (Financial Bid) उक्त बेवसाईट के माध्यम से खोला जायेगा।
29.	तकनीकी निविदा में सफल सभी निविदादाता के द्वारा वित्तीय बोली के खोले जाने से पूर्व सभी मूल कागजात/प्रमाण पत्र/शपथ पत्र आदि को सत्यापन के लिए बिहार राज्य भंडार निगम, प्रधान कार्यालय, पटना में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अपलोड किये गये कागजातों/प्रमाण पत्र/शपथ पत्र आदि के

	मूल प्रति को सत्यापन के लिए प्रस्तुत नहीं करने वाले निविदादाता की वित्तीय बोली नहीं खोली जायेगी तथा उनकी निविदा अस्वीकृत कर अग्रधन राशि जब्त कर ली जाएगी।
30.	वित्तीय बोली के शब्दों और अंकों में यदि कोई अंतर होता है तो दोनों में जो भी न्यून होगा, वही बोली मान्य होगी।
31.	वैसे निविदादाता जिनकी निगम में निविदा के आधार पर नियुक्ति की गई है, यदि वे सबलेटिंग के दोषी पाये गये हैं अथवा उनके विरुद्ध सबलेटिंग के साक्ष्य हैं अथवा उनके विरुद्ध किसी भी तरह का कानूनी/विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तो ऐसी स्थिति में संबंधित निविदादाता को निविदा के योग्य नहीं माना जाएगा तथा उनकी निविदा को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा।
32.	वर्तमान निविदा/ Notice Inviting Tender (NIT) एवं Model Tender Form (MTF), CVC एवं CWC के दिशा निर्देशों तथा BSWC से संबंधित अधिनियम/नियमों एवं सुसंगत तथा प्रभावी प्रावधानों और निदेशों के आलोक में निर्धारित है।
33.	प्रासंगिक निविदा NIT/MTF नियमानुसार निगम के कर्तव्य/जिम्मेवारी तथा कार्य आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में आधारित है।
34.	वर्तमान निविदा के संदर्भ में इसके नियम/शर्त एवं निदेश तथा निविदा आमंत्रण सूचना (NIT) और मानक निविदा प्रपत्र (MTF) प्रभावी होगा। अतएव निविदादाता इसका अनुसरण करें।
35.	निविदा के नियम एवं शर्त प्रासंगिक निविदा के निदेश तथा इसके निविदा आमंत्रण सूचना (NIT) एवं मानक निविदा प्रपत्र (MTF) के तहत ही सुनवाई योग्य होगा तथा इसका निष्पादन प्रभावी अधिनियम/नियम/प्रावधान/निदेश के तहत होगा।
36.	सभी निर्देशों को ई-निविदा के शर्तों के अनुरूप पढ़ा एवं संव्यवहार किया जाना चाहिए।
37.	निविदादाता द्वारा समर्पित सूचना/कागजात/प्रमाण पत्र/शपथ पत्र आदि के छद्म/फर्जी/गलत पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना/कारण पृच्छा के उनके निविदा को अमान्य/रद्द किया जायेगा तथा उनको काली सूचीबद्ध कर उनके द्वारा समर्पित राशि को जब्त किया जायेगा एवं उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
38.	बिहार राज्य भंडार निगम के प्रबंध निदेशक के पास बिना कोई कारण बताए अथवा कोई सूचना दिये बगैर निविदा को संशोधित/स्वीकार/अस्वीकार एवं किसी भी समय रद्द करने अथवा एतद् संबंध में कोई भी निर्णय का अधिकार प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम को सुरक्षित रहेगा। निगमहित के मद्देनजर प्रबंध निदेशक न्यूनतम दर की निविदा को भी स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार/मान्य नहीं होगा।



प्रबंध निदेशक
बिहार राज्य भंडार निगम



बिहार राज्य भण्डार निगम
(Bihar State Warehousing Corporation)

मानक निविदा प्रपत्र
Model Tender Form (MTF)

बिहार राज्य भंडार निगम अधीनस्थ बिहार राज्य के विभिन्न भंडारगृहों/
केन्द्रों/गोदामों हेतु खाद्यान्न/उर्वरक के परिवहन एवं हथालन कार्य के लिए।

प्रधान कार्यालय,
ब्लॉक बी-2, प्रथम तल,
मौर्यलोक परिसर, पटना।



आवश्यक सूचनाएं

1. कार्यस्थल :-

बिहार राज्य भंडार निगम में परिवहन एवं हथालन संवेदक (HTC) की नियुक्ति कृषि उत्पाद/खाद्यान्न/उर्वरक/खाद/बीज एवं अधिसूचित सामग्रियों के परिवहन एवं हथालन कार्य के लिए बिहार राज्य में अवस्थित/भंडारगृहों/केन्द्रों/गोदामों के लिए किया जाना है, जिसके लिए प्रासंगिक निविदा आमंत्रित है। नियुक्त किये गए परिवहन एवं हथालन संवेदक/अभिकर्ता की सेवा प्रदान करने का क्षेत्र, बिहार राज्य भंडार निगम के वर्तमान भंडारगृहों/केन्द्रों/गोदामों से बिहार राज्य भंडार निगम के अन्य भंडारगृहों/केन्द्रों/गोदामों तक, भारतीय खाद्य निगम के राज्यीय एवं अंतरराज्यीय गोदाम से बिहार राज्य भंडार निगम के भंडारगृहों/केन्द्रों/गोदामों तक, राज्यीय एवं अंतरराज्यीय भंडारगृह/केन्द्र रेलवे साइडिंग से बिहार राज्य भंडार निगम के भंडारगृहों/केन्द्रों/गोदाम तक (vice-versa सहित) आच्छादित होगा। इसके अतिरिक्त प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्देशित आकस्मिक परिवहन एवं हथालन या अन्य सेवाओं से संबंधित कार्य भी नियुक्त परिवहन हथालन संवेदक/अभिकर्ता को सम्पादित करना होगा। निविदादाता को भारतीय नागरिक होना चाहिए।

वर्तमान निविदा संबंधी नियम/निदेश/अहर्ता/मानदण्ड एवं शर्त आदि प्रासंगिक निविदा आमंत्रण सूचना (NIT) एवं मानक निविदा प्रपत्र (MTF) में वर्णित है। MTF के अंश अग्रानुसार है :- आवश्यक सूचनाएँ/सामान्य नियम और शर्त /तकनीकी बोली (Technical Bid)/एकरारनामा /वित्तीय बोली (Financial Bid)

नोट :- निविदादाताओं को सुझाव दी जाती है की वे बिहार राज्य भंडार निगम के संलग्न सूची के भंडारगृहों/केन्द्रों/गोदामों के आकार, लोडिंग/अनलोडिंग के स्थान आदि से स्वयं पूरी तरह वाकिफ हो लें, जिनके परिवहन हथालन हेतु वे निविदा समर्पित करना चाहते हैं। निविदादाताओं को निविदा में उल्लेखित सभी कार्यों का निष्पादन करना आवश्यक होगा। कार्यों के ब्योरों और मात्रा के आधार पर संवेदक/अभिकर्ता दरों में संशोधन और मुआवजे के लिए निगम में किसी भी तरह का दावा मान्य नहीं होगा।

2. कार्य का संक्षिप्त विवरण :-

परिवहन एवं हथालन कार्य :- परिवहन एवं हथालन संवेदक/अभिकर्ता को निर्धारित राज्यीय और अंतरराज्यीय कार्य स्थलों पर कृषि उत्पाद/खाद्यान्न/उर्वरक आदि के बोरो की रेलवे वैगन/ट्रकों/वाहन/गाड़ी से अनलोडिंग, कृषि उत्पाद/खाद्यान्न/उर्वरक आदि के बोरो की रेलवे वैगन, ट्रकों/वाहन/गाड़ी में लोडिंग, भंडारगृहों/केन्द्रों/गोदामों में स्टैकिंग (सरल/ब्लॉक- जैसा भी मामला हो)



तथा कृषि उत्पाद/खाद्यान्न/उर्वरक आदि के बोरों की जहां भी रेलवे साइडिंग या भंडारगृह/केन्द्र/गोदाम में जब भी आवश्यक हो, वजन, मानकीकरण, खाद्यान्न आदि सामग्री की सफाई और रख-रखाव एवं बिहार राज्य भंडार निगम के भंडारगृहों/केन्द्रों/गोदामों तक परिवहन का कार्य अनुबंध की शर्तों के अनुरूप करना अनिवार्य होगा।

अनुबंध के तहत कृषि उत्पाद खाद्यान्न/उर्वरक आदि का परिवहन एवं हथालन कार्य के लिए संवेदक/अधिकर्ता द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को दो भागों में बांटा गया है :-

भाग (I) एवं भाग (II)

भाग (I)- परिवहन हथालन संवेदक/अधिकर्ता द्वारा दी जानेवाली सामान्य सेवाएँ-प्राप्ति/निर्गमण संबंधित।

भाग (II)- परिवहन हथालन संवेदक/अधिकर्ता द्वारा दी जानेवाली अन्य सेवाएँ- संग्रहीत सामग्री/माल के संव्यवहार संबंधित।

उपर्युक्त यथानिर्दिष्ट सेवाएँ संवेदक/अधिकर्ता को प्रदान करना अनिवार्य होगा।

उपर्युक्त कार्य का विस्तृत विवरण अनुबंध के नियम और शर्तों विस्तृत रूप में वर्णित है।

3. कार्य की मात्रा :-

निविदादाता को स्पष्ट किया जाता है की निविदोपरांत अनुबंध अवधि के दौरान परिवहन हथालन एवं विविध कार्य और सेवाओं के निश्चित मात्रा की गारंटी निगम नहीं दे रहा है। साधारण रूप में भण्डारित बोरों का दो वर्ष की अवधि में पांच बार आवागमन और भण्डारित बोरों के वजन का वर्ष में एक बार भौतिक सत्यापन संभावित है। उल्लेखनीय है कि अनुबंध की अवधि के दौरान निगम यदि कोई अतिरिक्त सेवा निष्पादित करने का संवेदक/अधिकर्ता को निर्देश देता है, जिसका निविदा में उल्लेख नहीं है, तो संवेदक/अधिकर्ता वह कार्य करने के लिए बाध्य होगा। कृत कार्य हेतु नियमोचित पारिश्रमिक / भुगतान पाने का वे हकदार होंगे। ऐसे कार्यों को इस निविदा के अनुबंध की शर्तों के द्वारा ही नियंत्रित किया जाएगा।

4. भंडारगृहों/केन्द्रों/गोदामों के बारे में विस्तृत विवरण :-

खाद्यान्न/उर्वरक/कृषि उत्पाद आदि के भंडारण के लिए बिहार राज्य भंडार निगम के बिहार राज्य में कई भंडारगृह/केन्द्र/गोदाम हैं, जिनमें खाद्यान्न/उर्वरक के भण्डारण हेतु राज्यीय एवं अंतराज्यीय परिवहन एवं हथालन सेवाओं के संपादन हेतु संवेदक/अधिकर्ता की नियुक्ति की जानी है।

5. निविदा पर हस्ताक्षर :-

निविदा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा कि वह किस हैसियत से डिजिटल सिग्नेचर एवं निविदा में अपलोड किये गये कागजातों/दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर रहा है अर्थात एकमात्र मालिक के रूप में या पार्टनरशिप फर्म के रूप में, या कम्पनी के अधिकृत निदेशक/कर्मी या सहकारी संगठन के सचिव के रूप में।



- फर्म के एकल मालिक/व्यक्ति विशेष के रूप में शामिल हाने वाले निविदादाता को स्वयं के एकल मालिक (सिंगल ऑनर) होने का शपथ पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा।
- पार्टनरशिप फर्म के मामले में निविदादाता को सभी पार्टनर के नामों का उल्लेख शपथ पत्र और तकनीकी निविदा में दिए गये प्रपत्र में करना होगा। निविदादाता को सभी पार्टनर द्वारा अधिकृत किये जाने का शपथ पत्र देना होगा। पार्टनरशिप फर्म की मूल रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड को तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक है। बिहार राज्य भंडार निगम के साथ किये गये एकरारनामे और अनुबंध से संबंधित सभी शर्त फर्म के सभी पार्टनर पर समान रूप से बाध्यकारी होंगे।
- कम्पनी के मामले में कंपनी के सभी निदेशकों का नाम शपथ पत्र और तकनीकी निविदा में उल्लेख करना आवश्यक है। निविदादाता को निविदा में शामिल होने के लिए Registrar of Company द्वारा निर्गत Certificate of Incorporation तथा Memorandum of Association एवं Article of Association और Resolution की मूल प्रति को तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना होगा।
- सहकारी समिति के मामले में समिति के Registration Certificate एवं उसका अद्यतन निर्वाचन प्रमाण पत्र, Bye Laws तथा उसका Resolution निविदा में भाग लेने के लिए तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना होगा।
- तकनीकी निविदा में दिए जाने वाले सभी शपथ पत्र निविदा में संलग्न प्रारूप में समर्पित किया जाना आवश्यक है।

नोट:- सफल निविदादाता को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि वह कागजात जिसमें निविदादाता को निविदा में हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया है वह संबंधित संस्थान से जुड़े सभी व्यक्तियों पर समान रूप से बाध्यकारी है। सफल निविदादाता को निगम के साथ एकरारनामे से पूर्व सभी वांछित मूल दस्तावेज/कागजात/प्रमाण पत्र/शपथ पत्र आदि का बिहार राज्य भंडार निगम प्रधान कार्यालय पटना में जाँच के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि निविदादाता स्थिति अनुसार पॉवर आफ एटॉर्नी/अधिकृत पार्टनर/व्यक्ति होने के मूल कागजात/दस्तावेज को प्रस्तुत करने में असफल होता है तो निगम उसके द्वारा दी गई निविदा को रद्द कर देगा और अग्रधन राशि जब्त कर लेगा।

6. संवेदक का कार्यानुभव :-

निविदादाता के पास रेक हैंडलिंग/हैंडलिंग (स्टैक हैंडलिंग) और परिवहन कार्य करने का अनुभव किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संगठन में उर्वरक, खाद्यान्न, सीमेंट, चीनी, मोटे अनाज अथवा कोई अन्य अनुसूचित वस्तुओं आदि के क्षेत्र में पिछले पाँच वर्षों के दरम्यान और निविदा जमा करने की अंतिम तिथि तक होनी चाहिए।



निविदादाता को निम्न में से कोई एक मानदंड अवश्य पूरा करना होगा।:-

1. तीन पूर्ण किये गये कार्य जिनमें से प्रत्येक का मूल्य अनुमानित टर्नओवर का न्यूनतम 40% हो,
2. दो पूर्ण किये गये कार्य जिनमें से प्रत्येक का मूल्य अनुमानित टर्नओवर का न्यूनतम 50% हो,
3. एक पूर्ण किया गया कार्य जिनका मूल्य अनुमानित टर्नओवर का न्यूनतम 80% हो,
4. यदि निविदादाता के पास उपरोक्तानुसार अनुभव नहीं है, तब भी वह निविदा में भाग ले सकता है, यदि उस केन्द्र/भंडारगृह के परिवहन एवं हथालन कार्य का अनुमानित टर्नओवर के 2.00 (दो) करोड़ से कम है।

निविदादाता को अनुभव प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न प्रपत्र के अनुसार जमा करना होगा जो उनके संतोषजनक कार्य निष्पादन के साथ-साथ कार्य की प्रकृति, अनुबंध की अवधि और किए गए कार्य का मूल्य प्रमाणित करता हो। अनुभव प्रमाण पत्र पर निविदादाता का हस्ताक्षर एवं मुहर आवश्यक है।

नोट:-

- क) निविदाकर्ताओं के द्वारा समर्पित किए गए सभी प्रमाण पत्रों में कम से कम उपरोक्त सभी आवश्यक जानकारी होनी चाहिए, ताकि निविदा की शर्तों के अनुसार अनुभव को स्वीकार किया जा सके।
- ख) यदि प्रमाण पत्र केन्द्रीय भंडारण निगम, भारतीय खाद्य निगम, राज्य भंडार निगम और राज्य खाद्य निगम के अलावा अन्य एजेंसियों द्वारा जारी किया गया है तो निविदाकर्ताओं को निम्नलिखित दस्तावेजों/कागजातों को जमा करना होगा:-
 - i) कार्य आदेश या अनुबंध समझौते की प्रति, साथ ही:
 - अनुबंध की अवधि के अनुरूप उसका विस्तार प्रमाणित करने वाला दस्तावेज,
 - अनुबंध की सफल पूर्णता का प्रमाण पत्र।
 - ii) अनुभव प्रमाण पत्र में उल्लिखित अनुबंध अवधि के अनुरूप टी.डी.एस. (TDS) प्रमाण पत्र।
 - iii) विहित प्रपत्र के अनुसार प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
- ग) ऐसे अनुबंधों (Contracts) का अनुभव प्रमाण पत्र जो संतोषजनक रूप से पूर्ण नहीं हुए है, स्वीकृति योग्य नहीं होंगे।
- घ) निविदादाता के द्वारा संपादित कार्य पिछले पांच वर्षों के अन्तर्गत है या नहीं, का निर्धारण उनकी सेवा समाप्ति की तिथि से तय किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कार्य आदेश पांच वर्षों से अधिक पुराना है, लेकिन उसका कार्य पूर्णता की तिथि पिछले पांच वर्षों के



भीतर आती है, तो उसे मान्य माना जाएगा।

इ) पिछले पांच वर्षों की गणना के उद्देश्य हेतु विगत पांच वित्तीय वर्षों को वर्तमान वित्तीय वर्ष सहित निविदा जमा करने की अंतिम तिथि तक मान्य किया जाएगा।

7. ट्रकों का स्वामित्व एवं एकरारनामा :-

निविदादाता/सम्बेदक के स्वामित्व का 10 (दस) ट्रक (न्यूनतम) एवं निविदादाता/सम्बेदक के साथ एकरारनामा का 10 (दस) ट्रक होना चाहिए। तत्संबंधी विवरणी एवं कागजात जमा किया जाना आवश्यक है।

नोट:-

(क) ट्रक का Gross Vehicle Weight (GVW) 16,200 Kg या उससे अधिक होना चाहिए।

(ख) निविदादाता/सम्बेदक के स्वामित्व के ट्रक की संख्या उपर्युक्त न्यूनतम से जितनी अधिक होगी, उस अनुरूप एकरारनामा का ट्रक वांछित नहीं होगा।

समर्पित किये गये सभी ट्रकों का निबंधन प्रमाण पत्र, कर भुगतान (Tax Token) प्रमाण पत्र, बीमा पत्र, फिटनेस प्रमाण पत्र एवं परमिट पत्र (बिहार एवं झारखण्ड में मान्य) को अद्यतन करा कर फोटो कॉपी निविदादाता द्वारा सत्यापित/हस्ताक्षरित तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक है।

निविदादाता को ट्रकों से संबंधित विवरणी विहित प्रपत्र में समर्पित करना होगा। उक्त विहित प्रपत्र को सम्बेदक द्वारा स्वअभिप्रामाणित करना होगा।

8. निविदा प्रपत्र (BOQ) का मूल्य :-

प्रत्येक भंडारगृह/केन्द्र के निविदा प्रपत्र का मूल्य GST सहित रु. 29,500/- (उन्तीस हजार पाँच सौ) होगा जिसे Internet Payment Gateway (IPG)/Challan के माध्यम से <https://eproc2.bihar.gov.in> पर प्रत्येक निविदा/ भंडारगृह/केन्द्र हेतु अपलोड करना होगा। अलग-अलग केन्द्रों हेतु अलग-अलग निविदा दिया जाना आवश्यक है। निविदा देने के लिए प्रत्येक केंद्र के लिए अलग निविदा प्रपत्र के मूल्य का भुगतान Internet Payment Gateway (IPG)/Challan द्वारा Bihar State Warehousing Corporation के पक्ष में अनिवार्य रूप से देना होगा। संबंधित निविदादाता जमा किये गये राशि की विवरणी (साक्ष्य सहित) विहित प्रपत्र में निविदा कागजात के साथ अपलोड करेंगे।

9. निविदा में शामिल होने के लिए अग्रधन राशि (EMD) :-

निविदा में सम्मिलित होने के लिए निविदादाता अग्रधन राशि का भुगतान Internet Payment Gateway (IPG)/Challan के माध्यम से <https://eproc2.bihar.gov.in> पर करेंगे जो संबंधित भंडारगृह/गोदाम/केन्द्र के पिछले दो वित्तीय वर्षों के वार्षिक परिवहन एवं हथालन कार्य के टर्न ओवर के 2% (दो प्रतिशत) के समतुल्य होगा, जैसा की निविदा सूचना में वर्णित है।

नोट:-निविदादाता द्वारा Internet Payment Gateway (IPG)/Challan के माध्यम से <https://eproc2.bihar.gov.in> पर EMD भुगतान होना अनिवार्य है। जमा किये गये राशि



की विवरणी (साक्ष्य सहित) विहित प्रपत्र में निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा। सफल निविदादाता को एकरारनामा से पूर्व निर्दिष्ट जमानत राशि (Security Deposit) निगम के पक्ष में जमा करना होगा।

सफल निविदादाता बिहार राज्य भंडार निगम के साथ एकरारनामा करने से पहले यदि निविदा की तथ्यों/शर्तों में फेरबदल करता है या प्रबंध निदेशक द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्दर निर्दिष्ट जमानत राशि (Security Deposit) जमा करने में असफल रहता है, तो ऐसी परिस्थिति में उनका निविदा अमान्य किया जायेगा एवं अग्रधन राशि जब्त कर ली जाएगी।

सभी असफल निविदादाता को निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 90 दिनों के अन्दर परिवहन एवं हथालन कार्य तथा भंडारगृह/केन्द्र/गोदाम के लिए जमा अग्रधन राशि (EMD) eproc2 के माध्यम से वापस हो जाएगी। सफल निविदादाता यदि चाहे तो अग्रधन राशि वापस न लेकर इसे जमानत राशि में समायोजित करा सकते हैं। अग्रधन राशि पर किसी भी परिस्थिति में कोई ब्याज देय नहीं होगा।

10. जमानत राशि (Security Deposit) :-

(क) सफल निविदादाता को निविदा स्वीकृति पश्चात प्रबंध निदेशक के द्वारा निर्धारित किये गए तिथि के अन्दर एकरारनामा करने से पूर्व अनुमानित टर्नओवर के 10% के समतुल्य जमानत राशि (Security Deposit) बिहार राज्य भंडार निगम, प्रधान कार्यालय, पटना में जमा करना होगा। एकरारनामा से पूर्व जमा की जाने वाली जमानत राशि (SD) की विवरणी निम्न प्रकार है :-

- (I) निविदा के तकनिकी बोली के साथ अग्रधन राशि (EMD) के रूप में अनुमानित टर्नओवर के 02% (दो प्रतिशत) के समतुल्य राशि निविदा के समय निविदादाता को भुगतान करना होगा।
- (II) अंतिम रूप से चयनित होने के उपरांत निविदादाता को एकरारनामा सम्पन्न होने के पूर्व शेष जमानत राशि जो अनुमानित टर्नओवर के 08% (आठ प्रतिशत) के समतुल्य होगा, को जमा करना होगा। उक्त जमानत राशि पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।
- (ख) **बैंक गारंटी (Bank Guarantee) :-** उपरोक्त जमानत राशि के अलावा अंतिम रूप से चयनित निविदादाता को अनुमानित टर्नओवर के 05% (पांच प्रतिशत) के समतुल्य राशि बैंक गारंटी (Bank Guarantee) विहित प्रपत्र के अनुसार जमा करना होगा।
- (ग) **अतिरिक्त जमानत राशि:-** ऐसे निविदादाता जिनके पास अनुभव नहीं है, उनको अनुमानित टर्नओवर के 10% (दस प्रतिशत) के समतुल्य राशि को (उक्त निर्धारित जमानत राशि एवं बैंक गारंटी के अतिरिक्त) निगम कोष में अंतिम रूप से चयनित होने के उपरांत जमा करना होगा।

11. एकरारनामा :-

सफल निविदादाता की निविदा को स्वीकार किये जाने के बाद, प्रबंध निदेशक द्वारा निर्धारित की



गयी तिथि के अन्दर जमानत राशि, बैंक गारंटी एवं अतिरिक्त जमानत राशि (अनुभव रहित निविदादाता के लिए) जमा कर निगम के साथ एक एकरारनामा करना होगा। यदि सफल निविदादाता निर्धारित अवधि के भीतर एकरारनामा करने में असफल होते हैं, तो निविदा को अमान्य कर निविदा की अग्रधन राशि जब्त कर ली जायेगी।

12. तकनीकी निविदा में अपलोड किये जाने वाले कागजात/प्रमाण पत्र/शपथ पत्र:-

1. निविदा हेतु निविदादाता (संवेदक/संस्थान) द्वारा निम्नलिखित कागजात/प्रमाण पत्र/शपथ पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति अनिवार्य रूप से जमा करना होगा:-
 - i) निविदादाता/संवेदक का भारतीय नागरिक होने का शपथ पत्र।
 - ii) निविदादाता/संवेदक का आधार कार्ड की स्वहस्ताक्षरित प्रति।
 - iii) निविदादाता/संवेदक का PAN कार्ड की स्वहस्ताक्षरित प्रति जिसकी विवरण अग्रांकित है :-
 - a) व्यक्तिगत के लिए (निविदादाता का PAN कार्ड)।
 - b) फर्म के लिए (फर्म का PAN कार्ड)।
 - c) कम्पनी के लिए (कम्पनी का PAN कार्ड)।
 - d) समिति के लिए (समिति का PAN कार्ड)।
 - iv) निविदादाता/संवेदक का स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट आकार का दो फोटो।
 - v) निविदादाता/संवेदक एवं उनके संस्थान के सभी सहभागियों (पार्टनर/डायरेक्टर/सदस्य) का आचरण प्रमाण पत्र जिलाधिकारी अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत की स्वहस्ताक्षरित प्रति। साथ ही उपर्युक्त का विवरण संलग्न प्रपत्र में जमा करना होगा।
 - vi) निविदादाता/संवेदक का आवासीय प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी/सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वहस्ताक्षरित की प्रति।
 - vii) निविदादाता/संवेदक/संस्थान का GST निबंधन प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति।
 - viii) एकल/व्यक्तिगत मालिक होने की स्थिति में तत्संबंधी विहित प्रपत्र में शपथ पत्र।
 - ix) फर्म/कम्पनी एवं समिति की स्थिति में निम्नानुसार कागजात की स्वहस्ताक्षरित प्रति जमा करना होगा:-
 - a) फर्म के लिए रजिस्टर्ड पार्टनरशीप डीड।
 - b) कम्पनी के लिए Registrar of Company द्वारा निर्गत Certificate of Incorporation तथा Memorandum of Association एवं Article of Association और Resolution.
 - c) समिति के लिए समिति का Registration Certificate एवं उसका अद्यतन निर्वाचन प्रमाण पत्र, Bye Laws तथा उसका Resolution.
 - d) फर्म के प्रतिनिधि के रूप में निविदादाता होने की स्थिति में प्राधिकृति पत्र/पावर



ऑफ अटॉर्नी संलग्न करना होगा।

x) ट्रक का स्वामित्व/एकरारनामा-

निविदादाता/सम्बेदक के स्वामित्व का 10 (दस) ट्रक (न्यूनतम) एवं निविदादाता/सम्बेदक के साथ एकरारनामा का 10 (दस) ट्रक । तत्संबंधी विहित प्रपत्र में विवरणी एवं कागजात अपलोड करना आवश्यक है।

नोट:- (क) ट्रक का Gross Vehicle Weight (GVW) 16,200 Kg या उससे अधिक होना चाहिए।

(ख) निविदादाता/सम्बेदक के स्वामित्व के ट्रक की संख्या उपर्युक्त न्यूनतम से जितनी अधिक होगी, उस अनुरूप एकरारनामा का ट्रक वांछित नहीं होगा।

xi) समर्पित किये गये स्वामित्व एवं एकरारनामा वाले ट्रकों का निबंधन प्रमाण पत्र/अद्यतन कर भुगतान (Tax Token) प्रमाण पत्र/अद्यतन बीमा पत्र/अद्यतन फिटनेश प्रमाण पत्र एवं अद्यतन परमिट पत्र (बिहार/झारखण्ड में मान्य) का छायाप्रति, निविदादाता द्वारा स्वहस्ताक्षरित/सत्यापित कर समर्पित करना अनिवार्य होगा।

xii) निविदादाता/सम्बेदक को विगत तीन वर्षों का आयकर रिटर्न की प्रति समर्पित करना होगा।

xiii) वार्षिक टर्न ओवर:- निविदादाता/सम्बेदक के तीन वर्षों का औसत वार्षिक टर्न ओवर, केन्द्र/भंडारगृह के अनुमानित टर्न ओवर का कम-से-कम 30% होना चाहिए।

नोट:-

a) यदि तीन वित्तीय वर्षों का बैलेंस शीट और लाभ एवं हानि खाता का प्रतिवेदन तैयार/ऑडिट नहीं किए गए हैं तो पूर्व के पिछले तीन वित्तीय वर्षों के खातों को अपलोड किया जा सकता है।

b) प्रोपराइटरशिप/सहकारी समितियाँ/लिमिटेड/प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के लिए ऑडिटेड बैलेंस शीट और लाभ हानि खाता का प्रतिवेदन समर्पित करना अनिवार्य होगा।

c) जिन निविदादाता को वैधानिक रूप से अपने खातों का ऑडिट करवाना अनिवार्य नहीं है, वे पिछले तीन वित्तीय वर्षों के वार्षिक कारोबार और कर पश्चात लाभ (Profit After Tax) की पुष्टि करने वाले वैध यूडीआईएन (UDIN) सहित प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं।

d) यदि निविदादाता किसी निर्दिष्ट वित्तीय वर्ष का टर्नओवर प्रस्तुत नहीं करता है तो उस वर्ष के लिए टर्नओवर “शून्य (NIL)” माना जाएगा तदनुसार तकनिकी मुल्यांकन किया जाएगा।

xiv) निविदादाता/सम्बेदक का EPF कोड संख्या होने का प्रमाण पत्र।

xv) (क) बिहार राज्य भंडार निगम के पदाधिकारी/कर्मि एवं उनके निकटतम परिजन



(माता/पिता/पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री/भाई/बहन/ससुराल पक्ष के संबंधी) निविदा देने के पात्र नहीं होंगे। इस संबंध में शपथ पत्र संलग्न विहित प्रपत्र में समर्पित करना होगा।

(ख) सजायाफ्ता/सिद्ध दोषी/सरकारी राशि के दुरुपयोग/गबन के दोषी, किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थान द्वारा काली सूचीबद्ध/प्रतिबंधित (Debarred) तथा जिनकी अग्रधन (EMD)/प्रतिभूति राशि (Security Deposit)/बैंक गारंटी (BG) जब्त की गई हो एवं अनर्हित (Disqualified) हो तथा जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ती धारी / Door Step Delivery अभिकर्ता/चावल मिल मालिक एवं फ्लावर मिल मालिक एवं उससे संबंधित फर्म निविदा देने के पात्र नहीं होंगे। तत्संबंधी कार्यपालक दण्डाधिकारी के स्तर से विहित प्रपत्र में निर्गत शपथ पत्र जमा करना होगा।

- 13) निविदादाता/सम्बेदक द्वारा निविदा के साथ समर्पित सभी कागजात/प्रमाण पत्र पर निविदादाता/सम्बेदक का पूर्ण हस्ताक्षर एवं मुहर लगा रहना चाहिए अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा एवं अस्वीकृत किया जायेगा।
- 14) वांछित कागजात/शपथ पत्र/प्रमाण पत्र आदि समर्पित नहीं करने पर निविदा हेतु विचार नहीं किया जायेगा। निविदा प्रपत्र स्वीकार योग्य पाये जाने पर समर्पित किया गया वांछित कागजात/शपथ पत्र/प्रमाण पत्र आदि की मूल प्रति के भौतिक सत्यापन/मिलान के उपरांत सही पाये जाने पर ही निविदा को स्वीकृत किया जायेगा। छद्म/फर्जी/गलत कागजात पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य करार करते हुए निविदा अस्वीकृत किया जायेगा तथा अग्रधन राशि जब्त कर ली जायेगी एवं संबंधित के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
- 15) निविदा का निस्तार - प्राप्त निविदा एवं संलग्न कागजात/शुल्कादि की नियमानुसार समीक्षा/निष्पादन गठित निविदा समिति द्वारा की जायेगी। समीक्षोपरान्त सही पाये जाने एवं विहित शर्तों को पुरा करने वाले निविदा के स्वीकृति पर प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम द्वारा विचार किया जा सकेगा। एतदर्थ प्रबंध निदेशक का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।
- 16) निविदादाता/सम्बेदक निविदा से संबंधित वांछित कागजात/प्रमाण पत्र/शपथ पत्र आदि को सही रूप से अपलोड करें। अपूर्ण, अधुरा, असत्य तथा अवांछित भरे निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निर्धारित तिथि एवं समय उपरांत निविदा स्वीकार्य नहीं होंगे।
- 17) गलत/जाली सूचना/कागजात/प्रमाण पत्र/शपथ पत्र आदि देने वाले निविदादाता/सम्बेदक का निविदा मान्य नहीं किया जायेगा। निगम प्रबंधन समर्पित कागजात/प्रमाण पत्र/शपथ पत्र आदि की यथा आवश्यकतानुसार जांच करा सकता है। कालक्रम में सूचना/कागजात/प्रमाण पत्र/शपथ पत्र आदि के प्रमाणिक रूप से गलत पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना/कारणपृच्छा के उनकी निविदा को



- अमान्य एवं रद्द करार किया जायेगा एवं उनके द्वारा समर्पित राशि जब्त की जायेगी तथा विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
- 18) बिहार राज्य भंडार निगम से संबंधित कानून/नियम/निदेश का अनुपालन संबंधित द्वारा अनिवार्य होगा। कार्यहित/लोकहित में निगम द्वारा प्रदत्त निदेश का सम्यक/अक्षरशः अनुपालन संबंधित की अपरिहार्यता होगी।
- 19) निविदादाता/सम्बेदक का नाम, पता एवं स्वरूप में परिवर्तन स्वीकारने के संदर्भ में प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम सक्षम होंगे।
- 20) (क) कार्य/संव्यवहार असंतोषप्रद होने/ सदोष आशय से कृत्य/अपकृत्य करने तथा अनियमितता पाये जाने पर संबंधित निविदादाता/संबेदक को निलम्बित किया जायेगा/कालीसूचीबद्ध किया जा सकेगा।
(ख) कार्य/संव्यवहार असंतोषजनक स्थापित होने/सिद्धदोष होने पर बगैर कारण पृच्छा किये अथवा सूचना दिये निविदा रद्द करार किया जायेगा एवं निविदादाता/सम्बेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
- 21) बिहार राज्य भंडार निगम संबंधित विशिष्ट प्रावधान के तहत अपीलीय प्राधिकार अध्यक्ष, बिहार राज्य भंडार निगम हैं।
- 22) विधिक विवाद निपटारा - विधिक विवाद की स्थिति में इसके निपटान हेतु न्यायालय क्षेत्र, पटना होगा।
- नोट: निविदादाता/सम्बेदक निविदा के NIT एवं MTF के सभी पंक्तियों को पूरी तरह से पढ़ें एवं वांछित कागजातों को अवश्य अपलोड करें। इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे की कागजातों/प्रमाण पत्रों आदि की कोई पंक्ति और कॉलम खाली न रहे। पूर्ण निविदा दस्तावेज ही अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 23) निविदा की अपलोडिंग/समर्पित करना :-
निविदादाताओं को पूर्ण ध्यान से निविदा के नियम और शर्तों को समझने एवं उसके अनुपालन करने की सलाह दी जाती है। निविदादाताओं को वित्तीय बोली (Financial Bid) वेबसाईट <https://eproc2.bihar.gov.in> पर अपलोड/समर्पित करना अनिवार्य है।
तकनीकी बोली हेतु निविदादाता पूरे दस्तावेज/कागजात/प्रमाण पत्र/शपथ पत्र आदि पर क्रम संख्या डालकर उसे क्रमानुसार अपलोड करेंगे ताकि उसे आसानी से ढूँढा जा सके। सभी फोटोस्टेट कागजातों आदि पर मुहर लगाना और निविदादाता का हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।
तकनीकी बोली (Technical Bid) में लिखित सभी वांछित/आवश्यक दस्तावेज/कागजात को क्रम संख्या, निविदादाता का हस्ताक्षर एवं मुहर लगाकर उसकी स्कैन कॉपी को क्रमवार अपलोड करना है। तकनीकी बोली में मांगी गयी जानकारी दिए गए प्रपत्र में भरना है एवं शपथ पत्र के लिए बनाये गए प्रपत्र में ही शपथ पत्र देना है।



तकनीकी बोली (Technical Bid) में सफल निविदा का ही वित्तीय बोली (Financial Bid) खोला जायेगा।

वित्तीय बोली (Financial Bid) में अंकित दर SOR के आधार पर एक समान/ गुणात्मक प्रतिशत दर पर अंको एवं शब्दों में भरना है। वित्तीय बोली के शब्दों और अंको में यदि कोई अंतर होता है तो वैसी स्थिति में दोनो में जो भी न्यून होगा वही वित्तीय बोली मान्य होगी।

निविदादाता/सम्बेदक वर्णित सेवाओं के लिए Schedule of Rates (SOR) के आधार पर एक समान गुणात्मक प्रतिशत दर पर वित्तीय बोली भरेंगे। न्यूनतम दर दाता को L-1 करार किया जायेगा। वित्तीय बोली में भरा गया SOR का प्रतिशत दर यथा स्थिति अनुसार बिहार राज्य में प्रभावी दैनिक न्यूनतम मजदूरी दर एवं आवश्यक सेवाओं के बाजार दर अनुकूल होना चाहिए, ऐसा नहीं होने पर वित्तीय निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी में किसी भी प्रकार का संशोधन तथा श्रम और सहायक सेवाओं के कीमतों में वृद्धि सम्बेदक द्वारा भुगतये होगा।

- निविदा प्रपत्र (MTF) में तकनीकी बोली और वित्तीय बोली का प्रारूप स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। तकनीकी बोली और वित्तीय बोली में निगम के जिस केंद्र/भंडारगृह के लिए निविदा डाला जा रहा है इसका स्पष्ट उल्लेख अंकित होना चाहिए।
- तकनीकी बोली में निविदा प्रपत्र का मूल्य और अग्रधन राशि के e-payment gateway/challan का स्कैन कॉपी को संलग्न किया जाना आवश्यक है।
- यदि वित्तीय बोली में दो या अधिक निविदादाताओं की बोली एक समान पायी जाती है तो निविदादाता के पिछले तीन वर्षों के Average Annual Turn Over में जिसकी अधिक वार्षिक टर्न ओवर होगी, के आधार/पक्ष में वित्तीय बोली का निर्णय लिया जायेगा। निविदादाता/सम्बेदक उपर्युक्त उल्लेख किये गए प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली को अपलोड/समर्पित करता है तो वैसे निविदा को अस्वीकार एवं रद्द किया जाएगा।

तकनीकी बोली और वित्तीय बोली दोनों को वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in के माध्यम से अपलोड किया जाना अनिवार्य है। निविदादाताओं/सम्बेदकों के हित में होगा कि वे निविदा दस्तावेज/कागजात आदि यथानिर्दिष्ट रूप से निर्धारित अंतिम समय और तारीख से पहले अपलोड कर दें।

24) निविदा का खोला जाना :-

तकनीकी बोली को निविदा सूचना में अंकित निर्धारित तिथि और समय पर ई-पद्धति के अनुसार बेल्ट्रॉन के वेबसाइट <https://eproc2.bihar.gov.in> पर खोला जायेगा एवं निष्पादित किया जाएगा। वित्तीय बोली (Financial Bid) उपर्युक्त वेबसाइट पर ही मात्र उन्हीं निविदादाताओं/सम्बेदकों का खोला जाएगा, जिनकी तकनीकी बोली (Technical Bid) निविदा में



वर्णित नियमों और शर्तों तथा निदेशों को पूरा करते हों एवं विहित मानदंडों के अनुकूल हो एवं तकनीकी निविदा में सफल हो। वित्तीय बोली खोलने की तारीख और समय की जानकारी मात्र तकनीकी बोली में सफल निविदादाताओं/सम्वेदकों को तकनीकी निविदा के मूल्यांकन और जाँच के बाद उचित समय पर दिया जाएगा, जो मात्र वेबसाइट www.eproc2.bihar.gov.in पर उपलब्ध होगा। ऐसे निविदादाता/सम्वेदक जिन्होंने निविदा प्रपत्र का मूल्य और अग्रधन राशि का भुगतान e-payment gateway/challan द्वारा नहीं किया है तथा Bid Processing Fee भुगतान नहीं किया है उनकी निविदा को विचार योग्य नहीं माना जाएगा तथा उनका निविदा बगैर सूचना दिये/कारण पृच्छा किये अमान्य किया जायेगा।

25) भ्रष्ट आचरण:-

निविदादाता/सम्वेदक द्वारा निगम के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को रिश्वत, कमीशन, या किसी अन्य तरह से लाभ पहुंचाने की पेशकश किये जाने अथवा भयाक्रांत, दवाब एवं प्रताड़ना किये जाने पर उसकी निविदा को विचार के लिए अयोग्य माना जाएगा और यह पहलू निविदा को अस्वीकृत किये जाने के लिए पर्याप्त होगा। निम्नलिखित कृत्य/अपकृत्य निविदा को अस्वीकृत करने निमित्त महत्वपूर्ण कारक होंगे:-

1. बिहार राज्य भंडार निगम के किसी पदाधिकारी या कर्मचारी के साथ अनुशासनहीनता का व्यवहार एवं अमर्यादित हरकत करना।
2. निविदा के NIT/MTF, एकरारनामा एवं विहित निर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक करना।
3. निविदा कागजातों की प्राप्ति, निविदा कागजातों के प्रस्तुतीकरण या उससे संबद्ध कोई कार्य करते समय निगम कार्यालय में विधि व्यवस्था की समस्या पैदा करना।
4. निविदादाता/संवेदक द्वारा अपना कार्य किसी दूसरे संवेदक अथवा किसी व्यक्ति को बिना विभागीय आदेश के सौंपना अर्थात् सबलेटिंग करना।
5. संबद्ध पदाधिकारी या कर्मचारी को अभिभ्रष्ट करना या उनपर हमला करना।
6. निविदादाता/संवेदक द्वारा निविदा प्राप्त करने के लिये गलत अग्रधन या प्रतिभूति राशि तथा गलत/जाली कागजात समर्पित करना।
7. कार्य आवंटित होने पर निश्चित अवधि तक एकरारनामा नहीं करना।
8. किसी अपराधिक गतिविधि में सजायपता होना।
9. प्रपंच/ साजिश कर निविदा में अड़चन डालना/भाग लेना/बहिष्कार करना आदि।
10. कार्य आवंटित होने पर सम्यकरूपेण कार्य नहीं करना एवं निगम को वित्तीय हानि पहुँचाना।

26) निविदा की स्वीकृति एवं साक्षात्कार :-

सफल निविदादाता/सम्वेदक को पत्र / ई-मेल अथवा बिहार राज्य भंडार निगम के प्रबंध निदेशक



द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निविदा स्वीकृत किये जाने की सूचना दी जाएगी। प्राप्त सूचना पर निविदादाता/सम्वेदक को अपने खर्चे पर निगम के प्रधान कार्यालय, पटना आना होगा एवं निर्दिष्ट कार्यों का सम्पादन करना होगा।

27) एकरारनामे का निष्पादन :-

सफल निविदादाता/सम्वेदक बिहार राज्य भंडार निगम के प्राधिकृत पदाधिकारी के साथ रु. 1000/- मूल्य के नॉन ज्युडिशियल स्ट्याम्प पेपर पर दिए गए प्रारूप में एकरारनामा किया जायेगा। निविदा में वर्णित शर्तों के अनुसार सफल निविदादाता/सम्वेदक द्वारा जमानत राशि निगम में जमा कराने के सात दिनों के अन्दर एकरारनामा किया जाएगा। एकरारनामा करने में असफल रहने पर निविदा अमान्य किया जा सकेगा एवं तत्क्रम में अग्रधन राशि जब्त कर ली जाएगी।

28) दावा भुगतान :-

कृत कार्य के विरुद्ध संबंधित एजेन्सी से राशि की प्राप्ति/प्रतिपूर्ति के उपरांत ही संबंधित संवेदक/अभिकर्ता को भुगतान किया जायेगा।

29) Discovered Rates ज्यादा होने की स्थिति में न्यूनतम बोलीदाता के साथ Post Tender Negotiation किया जा सकेगा।

30) प्रासंगिक निविदा NIT/MTF नियमानुसार निगम के कर्तव्य/जिम्मेवारी तथा कार्य आवश्यकता पर आधारित है।

प्रासंगिक निविदा एवं इससे संबंधित NIT/MTF, CVC एवं CWC के दिशा निर्देश तथा बिहार राज्य भंडार निगम से संबंधित अधिनियमों/नियमों एवं निदेशों एवं प्रभावी प्रावधानों के आलोक में निर्धारित किया गया है।

31) निविदा संबंधी किसी भी प्रकार की सुनवाई वर्तमान निविदा के नियम/शर्त एवं निदेश तथा NIT/MTF के तहत ही सुनवाई/निष्पादन योग्य होगा।

32) बिहार राज्य भंडार निगम के प्रबंध निदेशक के पास बिना कोई कारण बताए अथवा कोई सूचना दिये बगैर निविदा को संशोधित/स्वीकार/अस्वीकार एवं किसी भी समय रद्द करने अथवा एतद् संबंध में कोई भी निर्णय का अधिकार प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम को सुरक्षित रहेगा। निगमहित के मद्देनजर प्रबंध निदेशक न्यूनतम दर की निविदा को भी स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार/मान्य नहीं होगा।

प्रबन्ध निदेशक

बिहार राज्य भंडार निगम, पटना



बिहार राज्य भंडार निगम
ANNEXURE- I

बिहार राज्य भंडार निगम के भंडारगृहों/केन्द्रों/गोदामों हेतु खाद्यान्न/उर्वरक एवं अन्य अधिसूचित वस्तुओं के परिवहन एवं हथालन के लिए अनुबंध शासी नियम एवं शर्त (General Terms & Conditions).

(I) परिभाषाएं :-

- (क) शब्द “अनुबंध” का अभिप्राय है, निविदा निष्पादनोपरांत उभय पक्षों के बीच करार/एकरारनामा/ अनुबंध जो उभयपक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। इसमें कार्यों से संबंधित सामान्य और विशेष शर्तों को सम्मिलित किये जाने को स्वीकृति होगी।
- (ख) शब्द “ संवेदक/अभिकर्ता” का अभिप्राय है व्यक्ति या फर्म या कंपनी, या समिति या उनके साझीदारों, निष्पादकों, प्रशासकों, हितधारकों तथा उतराधिकारियों जिनको संबंधित की अनुमति से बिहार राज्य भंडार निगम अन्तर्गत परिवहन हथालन संवेदक/अभिकर्ता के रूप में कार्य निष्पादन के लिए रखा गया है, जहाँ जैसा हो।
- (ग) शब्द “अनुबंध दर” का अभिप्राय भुगतान की दरों के लिए है जो निगम की ओर से निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा स्वीकृत हों।
- (घ) शब्द “निगम” और बिहार राज्य भण्डार निगम, जहाँ भी हो उसका अभिप्राय, दी वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन एक्ट 1962 एवं तत्संबंधी नियमावली (Bihar State Warehousing Corporation Rules & Regulation) के तहत स्थापित निगम, प्रबंध निदेशक और उसके उतराधिकारी या उतराधिकारियों जिन्हें वैसी शक्तियां प्रदान की गयी है एवं जो उक्त अधिनियम/नियमावली के विभिन्न प्रावधानों एवं तत्संबंधी नियमावली में प्राधिकृत हो।
- (ङ) शब्द “खाद्यान्न” “अनाज” “उर्वरक” का अभिप्राय है गेहूँ, चावल, धान और संग्रहीत उर्वरक या खाद या अन्य अधिसूचित वस्तुएं जिन्हें बिहार राज्य भण्डार निगम के जमाकर्ताओं/एजेन्सियों की ओर से लाया गया है या लाया जाएगा।
- (च) शब्द “भंडारगृह/क्रेडें” का अभिप्राय डिपो, गोदाम, भंडारगृह जो बिहार राज्य भण्डार निगम के अधीन है, या किसी भी समय निर्मित या अधिगृहीत किया जा सकता है।



- (छ) शब्द “प्रबंध निदेशक” का अभिप्राय है बिहार राज्य भंडार निगम के प्रबंध निदेशक।
- (ज) शब्द “अध्यक्ष” का अभिप्राय है, बिहार राज्य भंडार निगम के अध्यक्ष।
- (झ) शब्द “गोदाम प्रबंधक/ गोदाम अधीक्षक” (Warehouse Manager/ Superintendent) का अभिप्राय है, गोदाम में पदस्थापित व्यक्ति/पदाधिकारी जिसे निगम की ओर से अधिसूचित कार्य सौंपा गया है।
- (ञ) शब्द “सेवा एवं अन्य सेवाएँ” का अभिप्राय, कार्यों का संचालन जो कंडिका I-XX (भाग I-II) में सविस्तार सेवाओं की अनुसूची में उल्लिखित है या प्रबंध निदेशक या अधिकृत/प्राधिकृत अधिकारी ने करने का आदेश दिया है।
- (ट) शब्द “ट्रक” जहाँ कहीं भी उल्लेख किया गया है इसका अभिप्राय सामग्री ढोने वाले यांत्रिक वाहनों से होगा जिसकी लदान क्षमता Gross Vehicle Weight (GVW) 16,200 kg या उससे अधिक हो (पशुचालित वाहन इसमें शामिल नहीं है)।
- (ठ) शब्द “इलेक्ट्रॉनिक तुला चौकी” का अभिप्राय ट्रकों को वजन करने वाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण/सिस्टम संचालित वे ब्रिज (धर्मकांटा) जिसके द्वारा लादे गए खाद्यान्न/ उर्वरक या अन्य वस्तुओं का वजन किया जा सके।

(II) संवेदक/अभिकर्ता का विषय वस्तु :-

संवेदक/अभिकर्ता को कंडिका I-XX में दिए गए, सेवाओं के अतिरिक्त सहायक और आकस्मिक सेवाओं को अनुबंधित दरों, नियमों और शर्तों के अधीन संचालन करना होगा। संवेदक/अभिकर्ता को प्रबंध निदेशक या अधिकृत अधिकारी के द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देश के आलोक में उन कार्यों का भी निष्पादन करना होगा जो कि निविदा में निर्देशित नहीं है।

(III) अनुबंध के पक्षकार :-

- (क) अनुबंध के पक्षकारों में संवेदक/अभिकर्ता और बिहार राज्य भण्डार निगम के प्रबंध निदेशक अथवा प्रबंध निदेशक द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे।
- (ख) निविदा या अन्य दस्तावेज/कागजात जो निविदा का हिस्सा है और अनुबंध से संबंधित है, उस पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति एवं संस्थान तथा इससे सम्बन्ध रखने वाले सभी व्यक्तियों पर एक समान रूप से बाध्यकारी होगा। यदि जांच करने पर यह पाया जाता है कि संबंधित व्यक्ति को इस तरह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, तो बिहार राज्य भंडार निगम के प्रबंध निदेशक को बिना कोई पूर्व सूचना दिये/कारण पृच्छा किये एवं कोई सिविल और आपराधिक मामला दर्ज किये बिना संबंधित संवेदक का अनुबंध समाप्त कर, संवेदक से किसी भी तरह के नुकसान की क्षति-पूर्ति का अधिकार होगा। इस हेतु यथोचित विधि सम्मत कार्रवाई भी की जा सकेगी।



(ग) बिहार राज्य भंडार निगम की ओर से कोई सूचना या अन्य कार्रवाई प्रबंध निदेशक या किसी अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा की जा सकती है।

(IV) संवेदक/अधिकर्ता के लिए विशिष्ट प्रावधान :-

- (क) निविदा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा कि वह किस हैसियत से डिजिटल सिग्नेचर/हस्ताक्षर कर रहा है एवं निविदा में अपलोड किये गये दस्तावेजों/कागजातों पर हस्ताक्षर का इस्तेमाल कर रहा है। यानि संस्थान/फर्म के एक मात्र मालिक (सिंगल ऑनर) के रूप में या पार्टनरशिप फर्म के अधिकृत पार्टनर के रूप में या कंपनी के अधिकृत निदेशक/समिति के सचिव के रूप में। जो भी व्यक्ति/निविदादाता किसी कंपनी की ओर से निविदा में संलग्न किये गये दस्तावेजों/कागजातों पर हस्ताक्षर और डिजिटल सिग्नेचर इस्तेमाल करता है, वह व्यक्ति अपने पक्ष में एक पॉवर ऑफ एटॉर्नी प्रस्तुत करेगा, जिसमें यह स्पष्ट होगा कि वह निविदा पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत है और अनुबंध की सभी शर्तें, उसके द्वारा किये जा रहे कार्य और सेवाएं उक्त संस्थान/फर्म/समिति या एकल मालिक जिसके बदले में वह हस्ताक्षर कर रहा है, उन सबों को पूरी तरह से बाध्यकारी है।
- (ख) अनुबंध की अवधि के दौरान संवेदक/व्यक्तिगत/फर्म/कम्पनी/समिति बिहार राज्य भंडार निगम के पूर्व अनुमोदन के बिना संस्था के किसी नियम/अधिनियम/संविधान तथा नाम और पता एवं स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। संवेदक/अधिकर्ता द्वारा संस्थान/फर्म के किसी पार्टनर/निदेशकों के इस्तीफे या मृत्यु के तुरंत बाद निगम को सूचित किया जाना आवश्यक है। इस तरह की सूचना प्राप्त होने पर निगम यदि उचित समझता है तो अनुबंध समाप्त करने का अधिकार रखता है।
- (ग) कोई संवेदक/ व्यक्तिगत/ फर्म/ कम्पनी/समिति, अनुबंध की अवधि के दौरान यदि अपने संस्थान को प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी में तब्दील करता है या कंपनी एक्ट के अधीन कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी किसी एकल स्वामित्व फर्म को टेक ओवर करना चाहता है, तो एकल स्वामित्व वाले फर्म को यह विश्वास दिलाना होगा कि ऐसा करने के पीछे उसका उद्देश्य आर्वाइव्ड कार्य को और भी बेहतर और सुचारू ढंग से चलाने के लिए है। यदि निगम को ऐसा प्रतीत होता है कि संवेदक/व्यक्तिगत/फर्म/कम्पनी/समिति का किया जाने वाला यह परिवर्तन निगम हित में है तो

निगम इस पर विचार कर सकता है, लेकिन इसके लिए संवेदक/व्यक्तिगत /फर्म/कम्पनी/समिति वाले संस्थान/फर्म को निगम से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। यदि ऐसा होता है तो पहले से निगम में निर्बंधित संस्थान/फर्म के स्थान पर टेक ओवर करने वाली लिमिटेड कंपनी का निर्बंधन किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए उसे निगम में अलग से निर्धारित निर्बंधन शुल्क जमा करना होगा तथा वांछित शर्तों को पूरा करना होगा। विगत संस्थान की अधिकृति, अनुभव एवं उत्तरदायित्व आदि नव परिवर्तित संस्थान में समाहित हो जायेगा। अनुबंध की अवधि के दौरान निगम से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद कोई एकल स्वामित्व वाले फर्म को किसी लिमिटेड कंपनी द्वारा टेक ओवर कर लिया जाता है तो ऐसे में निगम नए निर्बंधित कम्पनी को शेष अनुबंध अवधि का कार्य सौंप देगा। बिहार राज्य भंडार निगम के साथ सभी व्यापार/कारोबार संबंधों में नयी निर्बंधित लिमिटेड कंपनी का अनुभव टेकओवर किये गये पुरानी एकल स्वामित्व वाले फर्म के अनुभव इत्यादि सहित समेकित माना जायेगा। टेकओवर करने वाली लिमिटेड कंपनी उस एकल स्वामित्व वाले फर्म/विगत फर्म के सभी पुराने दायित्व, यदि कोई हो तो, के लिए पूर्ण रूपेण देनदार एवं जिम्मेवार होगी।

- (घ) कोई सम्वेदक/संस्थान अनुबंध अवधि के दौरान यदि अपने संस्था के किसी नियम/अधिनियम /संविधान अथवा नाम और पता एवं स्वरूप में कोई परिवर्तन करता है तो बिहार राज्य भंडार निगम के प्रबंध निदेशक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। संबंधित सम्वेदक/संस्थान को यह विश्वास दिलाना होगा कि ऐसा करने के पीछे उसका उद्देश्य आवंटित कार्य को और भी बेहतर एवं सुचारू ढंग से चलाने के लिए है। यदि निगम को ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित सम्वेदक/संस्थान द्वारा किया जानेवाला परिवर्तन कार्यहित/निगमहित में है तो निगम इसपर समुचित विचार कर सकता है। नयी परिवर्तित संस्थान/टेक आवेर करनेवाली संस्थान विगत फर्म/संस्थान/सम्वेदक के सभी पुराने दायित्व, यदि कोई हो तो, के लिए पूर्ण रूपेण देनदार/जिम्मेदार होगा। बिहार राज्य भंडार निगम के साथ सभी कारोबार/व्यापार संबंधों के लिए परिवर्तित/टेक ओवर करने वाली नई संस्थान का अनुभव पुराने संस्थान / टेक ओवर किये गए फर्म/संस्थान के कृत कार्यानुभव इत्यादि सहित समेकित माना जायेगा।

(V) सबलेटिंग (कार्य दूसरे का पट्टे पर देना):-

परिवहन एवं हथालन सम्वेदक/ठेकेदार अनुबंध किये कार्य को किसी अन्य व्यक्ति/फर्म को कमीशन अथवा किसी भी आधार पर पट्टे पर नहीं सौंपेगा। यदि संवेदक/अभिकर्ता द्वारा ऐसा किया जाता है



तो, निगम संवेदक/अभिकर्ता (TH Contractor) को इस गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए पूर्णरूपेण नियम उल्लंघन का दोषी मानते हुए उचित कानूनी कार्रवाई कर निविदा/अनुबंध रद्द करते हुए, संवेदक/अभिकर्ता को काली सूची में डालकर जमानत राशि, बैंक गारंटी अथवा अतिरिक्त जमानत राशि (अनुभव रहित परिवहन एवं हथालन सम्वेदक के लिए) जब्त कर लेगा। संवेदक/अभिकर्ता के द्वारा ट्रक एवं श्रमिकों को स-समय उपलब्ध कराना बाध्यता होगी। अगर ट्रक एवं श्रमिक उपलब्ध कराने में सम्वेदक असमर्थ रहता है तथा भारतीय खाद्य निगम/ संबंधित एजेन्सी एवं गोदाम प्रभारियों द्वारा लिखित सूचना मिलती है तो इस कारण भी निविदा/अनुबंध रद्द करते हुए यथोचित कार्रवाई की जा सकेगी। वैसे परिवहन एवं हथालन सम्वेदक/अभिकर्ता जिनकी निगम में निविदा के आधार पर नियुक्ति की गई है, वे यदि सबलेटिंग के दोषी पाये जाते हैं या उनके खिलाफ सबलेटिंग के साक्ष्य हैं या उनके खिलाफ किसी भी तरह का कानूनी/विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तो इस स्थिति में ऐसे संवेदक को निविदा समर्पित करने योग्य नहीं माना जाएगा तथा उनकी निविदा को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(VI) तीसरे पक्ष के साथ संबंध :-

परिवहन एवं हथालन संवेदक/अभिकर्ता और किसी भी तृतीय पक्ष के बीच सभी लेनदेन उन दोनों के बीच होगा तो निगम किसी भी संदर्भ में उसमें सम्मिलित नहीं होगा।

(VII) कार्मिकों के लिए दायित्व/श्रम कानून का अनुपालन :-

केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए लागू सभी श्रम कानून, बिहार राज्य भंडार निगम के परिवहन एवं हथालन अनुबंध अन्तर्गत/ कार्यरत सम्वेदक/अभिकर्ता पर पूरी तरह लागू होंगे। समय-समय पर केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर में और अधिनियम में जो भी संशोधन किये जायेंगे, उनका अनुपालन बिहार राज्य भंडार निगम अन्तर्गत नियुक्त/कार्यरत परिवहन एवं हथालन सम्वेदक द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा। संबंधित सम्वेदक का ई.पी.एफ. कोड नम्बर होना अनिवार्य है।

(VIII) रिश्वत, कमीशन, भ्रष्ट उपहार आदि :-

संवेदक/अभिकर्ता द्वारा निगम के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को रिश्वत, कमीशन या किसी अन्य



तरह से लाभ पहुँचाना या लाभ पहुँचाने की पेशकश करना, किसी व्यक्ति के पक्ष में या विरोध में रहकर अनुबंध को प्रभावित करने की कोशिश करना, आदि सभी मामलों में संवेदक/अधिकर्ता के साथ कृत अनुबंध और अन्य अनुबंध को रद्द किया जा सकता है। साथ ही इससे होने वाले नुकसान की भरपाई भी संवेदक/अधिकर्ता को करना होगा। ऐसे संवेदक/अधिकर्ता को काली सूची में डालते हुए कम से कम तीन वर्षों के लिए निगम में निविदा से वंचित करते हुए इस तथ्य की सूचना सभी सम्बंधित संस्थानों को दी जाएगी।

(IX) अनुबंध की अवधि :-

a) नियमित निविदा (औपचारिक संवेदक/अधिकर्ता के लिए) :-

- (i) अनुबंध दो साल की अवधि के लिए होगा जो कार्यादेश प्राप्त होने की तिथि से दो साल की अवधि तक लागू होगा।
- (ii) दो वर्ष के अनुबंध की मूल अवधि के अलावा उसी दर, नियम और शर्त पर निगम के विवेक एवं संवेदक के कार्य मूल्यांकन पर परिस्थितिवश अग्रतर छः (06) महीने के लिए अनुबंध अवधि का विस्तार किया जा सकता है। उक्त विस्तार संवेदक/अधिकर्ता के विगत कार्यावधि में किये गए समुचित कार्य/संव्यवहार के संतोषप्रद पाये जाने पर ही विचारणीय होगा।
- (iii) निगम प्रबंधन, विषम/असामान्य परिस्थिति (Force Majeure) में कार्यअपरिहार्यता के मद्देनजर उक्त के अतिरिक्त सम्वेदकों की सहमति पर मूल अनुबंधों के दर, नियम एवं शर्त पर अग्रतर छः मासावधि विस्तार तक के लिए सक्षम होगा।
- (iv) अनुबंध की अवधि के दौरान निगम से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद कोई एकल स्वामित्व वाले फर्म/संस्थान को किसी लिमिटेड कंपनी द्वारा टेक ओवर कर लिया जाता है अथवा संस्थान के नाम और पता एवं स्वरूप में कोई परिवर्तन करता है तो ऐसे में निगम नए निर्बंधित कम्पनी/संस्थान को शेष अनुबंध अवधि का कार्य सौंप देगा।

b) तदर्थ निविदा (तदर्थ संवेदक/अधिकर्ता के लिए):-

- (i) परिवहन हथालन संवेदक/अधिकर्ता द्वारा अनुबंध के नियम और शर्तों के उल्लंघन/अवहेलना करने अथवा उनके द्वारा अनियमितता बरतने की स्थिति में प्रबंध निदेशक को यह अधिकार होगा की,



- उनके अनुबंध को समाप्त कर अल्पकालीन निविदा द्वारा तदर्थ संवेदक/अभिकर्ता (Adhoc HTC) की नियुक्ति कर सकता है।
- (ii) अनुबंध अवधि के दौरान अनियमितता स्थापित होने पर निगम द्वारा लिखित रूप में संवेदक/अभिकर्ता को उसके अंतिम ज्ञात पता निवास/व्यापार की स्थान पर सात दिन की सूचना देकर, बिना कोई कारण बताए किसी भी समय उसके अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है और संवेदक/अभिकर्ता इस कारणवश किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं होगा।
- (iii) कार्य आवश्यकता के मद्देनजर अथवा नये भंडारगृह/केन्द्र/गोदाम संचालन की स्थिति में भी निगम तदर्थ संवेदक/अभिकर्ता (Adhoc HTC) की नियुक्ति कर सकता है।
- (iv) तदर्थ निविदा में सफल निविदादाता (L-1) का अनुबंध छः महीने की अवधि के लिए होगा जो कार्यादेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा। विशेष परिस्थिति में उक्त कार्य अवधि समाप्त होने पर अगले तीन माह के लिए अनुबंध विस्तारित किया जा सकेगा। नियमित निविदा द्वारा परिवहन हथालन सम्वेदक की नियुक्ति होने पर तदर्थ सम्वेदक/अभिकर्ता की कार्यावधि समाप्त की जा सकेगी।

c) आकस्मिक/ स्पार्ट निविदा (आकस्मिक संवेदक/अभिकर्ता के लिए):-

यदि कार्यादेश द्वारा नियुक्त कोई सम्वेदक/अभिकर्ता निर्दिष्ट परिवहन एवं हथालन कार्य को नहीं करता है अथवा कार्य को छोड़कर भाग जाता है तो वैसी स्थिति में उनका अनुबंध समाप्त कर जमानत राशि को जब्त कर उन्हें काली सूचीबद्ध किया जायेगा/ विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी एवं निगम प्रबंधन निविदोपरांत नियुक्त एवं कार्यरत सम्वेदक/अभिकर्ता से कार्य के त्वरित निष्पादन के मद्देनजर अल्प सूचना पर स्थलीय स्पार्ट/आकस्मिक निविदा के तहत न्यूनतम तीन दर कोटेशन प्राप्त कर न्यूनतम दर दाता से संबंधित भंडारगृह/केन्द्र हेतु परिवहन एवं हथालन का कार्य विशेष परिस्थिति वश सम्पन्न करा सकेगा। कार्य अपरिहार्यता के मद्देनजर नवसृजित भंडारगृह/केन्द्र हेतु भी अस्थायी/आकस्मिक व्यवस्था के तहत उक्त प्रक्रिया की जा सकेगी।

उक्त स्थिति में कालक्रम में निगम प्रबंधन समुचित विचारण कर तदर्थ निविदा द्वारा तदर्थ सम्वेदक/अभिकर्ता अथवा नियमित निविदा द्वारा नियमित सम्वेदक/अभिकर्ता की नियुक्ति करने हेतु सक्षम होगा।

(X) अनुबंध का समापन :-

- (क) खराब प्रदर्शन/अनियमितता करने पर संवेदक/अभिकर्ता को उसके दोष की गंभीरता एवं पुष्टि के आधार पर उस केंद्र/भंडारगृह के कार्य से निलंबित/विमुक्त कर उनसे किये एकरारनामा को रद्द किया जा सकता है। ऐसे मामले में निगम के प्रबंध निदेशक का निर्णय अंतिम और



- बाध्यकारी होगा।
- (ख) ऐसी स्थिति में जब संवेदक/अधिकर्ता दिवालिया घोषित हो गया हो और अनुबंध के प्रावधानों, नियमों और शर्तों के पालन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो, तो प्रबंध निदेशक इस बात के लिए स्वतंत्र होंगे कि शेष अवधि के लिए संवेदक/अधिकर्ता का अनुबंध रद्द कर दें एवं उन्हें कार्यमुक्त कर दें।
- (ग) संवेदक/अधिकर्ता द्वारा परिवहन एवं हथालन के लिए दी जा रही सेवाओं के आलोक में माल के प्रेषण और परिवहन के दौरान अनियमितता में संलिप्त पाए जाने के सम्बन्ध में जाँच करने एवं जाँचोपरांत आरोप सही पाये जाने पर संवेदक/अधिकर्ता को कार्यमुक्त करते हुए तीन वर्षों के लिए काली सूची में डाल दिया जाएगा और जमानत राशि जब्त करते हुए उसका अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा।
- (घ) निविदादाता/संवेदक के द्वारा तकनीकी बोली में अपलोड किये गये कागजात/प्रमाण पत्र/शपथ पत्र आदि सत्यापन के दौरान फर्जी/जाली/गलत पाये जाते हैं तो उन्हें कार्यमुक्त करते हुए अनुबंध रद्द कर जमानत राशि को जब्त कर लिया जायेगा तथा कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
- (ड.) व्यक्तिगत या एकल स्वामित्व वाले फर्म के मामले में यदि व्यक्ति या मालिक की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो अनुबंध को स्वतः समाप्त माना जायेगा। उसके किसी भी वैध वारिस या उत्तराधिकारी के साथ अनुबंध को जारी नहीं रखा जायेगा और न ही उनके साथ अनुबंध किया जायेगा।

(XI) अग्रधन की वापसी :-

सभी असफल निविदादाता/संवेदक को निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 90 दिनों के अन्दर परिवहन एवं हथालन से संबंधित अग्रधन राशि वापस कर दी जाएगी।

(XII) जमानत राशि, बैंक गारंटी एवं अतिरिक्त जमानत राशि :-

सफल निविदादाता/संवेदक को निविदा की स्वीकृति के उपरांत प्रबंध निदेशक द्वारा निर्धारित तिथि के 15 (पन्द्रह) कार्य दिवसों के अन्दर अपने दायित्वों के उचित निष्पादन के लिए जमानत राशि निगम में जमा करना होगा। जमानत राशि इस प्रकार है:-



- (1) सफल निविदादाता/सम्वेदक को खाद्यान, उर्वरक के परिवहन एवं हथालन के लिए जमानत राशि, बैंक गारंटी एवं अतिरिक्त जमानत राशि संबंधित भंडारगृह/गोदाम/केंद्र के अनुमानित टर्न ओवर का 10% (दस प्रतिशत) राशि के समतुल्य जमा करना होगा।
 - (2) इसके अतिरिक्त सफल निविदाकर्ता/सम्वेदक अनुमानित टर्न ओवर के 10% के समतुल्य राशि किसी भी RBI द्वारा अधिसूचित किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी अपरिवर्तनीय और बिना शर्त की बैंक गारंटी निर्धारित प्रारूप में जमा करेगा जो अनुबंध समाप्ति के छः महीने के बाद तक मान्य होगा।
 - (3) ऐसी निविदाकर्ता/सम्वेदक जिनके पास निविदा की शर्तों के अनुसार अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है तो उनको शर्तों में छूट के लिए उपरोक्त वर्णित कंडिका-1 एवं 2 के अतिरिक्त अनुमानित टर्न ओवर के 10% के समतुल्य राशि बैंक गारंटी के रूप में RBI द्वारा अधिसूचित किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी अपरिवर्तनीय एवं बिना शर्त के बैंक गारंटी जमा करना होगा जो अनुबंध समाप्ति के छः महीने के बाद तक मान्य होगा।
- नोट:-** यदि निविदाकर्ता/सम्वेदक निविदा स्वीकृति के 15 (पन्द्रह) कार्य दिवसों के अन्दर निर्धारित बैंक गारंटी जमा करने में विफल होता है तो जमानत राशि के 0.1% प्रति दिन की दर से समतुल्य जुर्माना राशि के साथ 15 (पन्द्रह) कार्य दिवसों का अतिरिक्त विस्तार दिया जा सकता है।
- (5) सफल निविदाकर्ता/सम्वेदक यदि चाहे तो अग्रधन राशि वापस न लेकर इसे जमानत राशि में समायोजित करा सकते हैं। अग्रधन राशि पर किसी भी परिस्थिति में कोई ब्याज देय नहीं होगा।
 - (6) यदि सफल निविदादाता/सम्वेदक पूर्व में निगम के साथ अनुबंध में रहा है और उसकी जमानत राशि निगम में पूर्व अनुबंध के वास्ते जमा है तो उसे नए अनुबंध में जमानत राशि के रूप में समायोजित नहीं किया जाएगा। उन्हें नयी जमानत राशि जमा करनी होगी।
 - (7) अनुबंध की समाप्ति अथवा विस्तारित अवधि की समाप्ति के 90 दिनों के अन्दर निगम में जमा संवेदक/अभिकर्ता की जमानत राशि वापस कर दी जाएगी। निगम जमानत राशि पर कोई ब्याज या किसी मूल्य ह्रास के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(XIII) रेलवे विलम्ब शुल्क, स्थान शुल्क एवं मार्ग क्षति में संवेदक/अभिकर्ताओं का दायित्व :-
परिस्थिति वश रेलवे द्वारा लगाये गए विलंब/स्थान शुल्क, (Demurrages Charge, wharfage



Charge, Penalty Demurrage Charge एवं Transit Loss तथा अन्य कटौती) के लिए संवेदक/अधिकर्ता पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे। रेलवे द्वारा लगाये गए विलम्ब/स्थान शुल्क Demurrages Charge, Wharfage Charge एवं Penalty) माफ किये जाने एवं उसके संबंधित एजेन्सी/जमाकर्ता से प्रतिपूर्ति के उपरांत ही संवेदक/अधिकर्ता का विलम्ब/स्थान शुल्क वापसी का दावा मान्य होगा। दावा लौटाए गए विलम्ब/स्थान शुल्क की राशि के अनुपातिक ही मान्य होगा एवं अलग से कोई ब्याज/दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

(XIV) कार्य की मात्रा :-

निगम अनुबंध अवधि के दौरान निविदा में वर्णित भंडारगृहों/केन्द्रों/गोदामों की संख्या, भंडारण क्षमता का विस्तार, अतिरिक्त गोदामों का अधिग्रहण या किसी कारणवश किसी गोदाम में भण्डारण का कार्य छोड़ देता है, तो परिवहन एवं हथालन संवेदक/अधिकर्ता भण्डारण क्षमता के विस्तार और कमी के बावजूद अनुबंध की दर एवं शर्तों पर कार्य करने के लिए बाध्य होगा। इस आधार पर हथालन एवं परिवहन संवेदक/अधिकर्ता बिहार राज्य भंडार निगम पर किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त दावा पेश नहीं कर सकता है।

(XV) पारिश्रमिक :-

- (क) संवेदक/अधिकर्ता को Annexure-I-XX में वर्णित सेवाओं के लिए अनुबंध दर एवं शर्तों पर पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।
- (ख) संवेदक/अधिकर्ता को अनुबंध में अनुसूचित कार्य के अलावा अन्य कार्य करने लिए निर्दिष्ट किया जाता है, तो संवेदक/अधिकर्ता को उसके लिए पारिश्रमिक का भुगतान निविदा में वर्णित अनुबंध दर एवं शर्तों पर किया जाएगा।
- (ग) प्रबंध निदेशक के आदेश पर अनुबंध में उल्लिखित सेवाओं के अलावे संवेदक/अधिकर्ता कोई कार्य करता है तो उसकी लिखित जानकारी प्रबंध निदेशक को कार्य शुरू किये जाने के पन्द्रह दिनों के अन्दर आवश्यक रूप से दिया जाना चाहिए। संवेदक/अधिकर्ता द्वारा किये जा रहे विशेष सेवाओं का उल्लेख अनुबंध में है या नहीं यह विषय प्रासंगिक नहीं है। प्रबंध निदेशक, का निर्णय अंतिम होगा, जो संवेदक/अधिकर्ता के लिए बाध्यकारी होगा।

(XVI) भुगतान :-

- (क) अधिकर्ता/संवेदक प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह या इसके पूर्व परिवहन एवं हथालन विपत्र समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। विशेष परिस्थिति में संवेदक के अनुरोध पर निगम यदि आवश्यक समझें तो निर्धारित अवधि से अधिक समय तक विपत्र जमा करने की अनुमति दे



- सकता है, परन्तु इसकी अवधि 21 (इक्कीस) दिनों से अधिक नहीं होगी।
- (ख) संबंधित संवेदक/अधिकर्ता को कृत परिवहन एवं हथालन कार्य के विपत्र का भुगतान दो प्रतियों में विपत्र के गोदाम प्रबंधक/अधिकृत अधिकारी द्वारा माल प्राप्ति रसीद / वर्कडन सर्टिफिकेट को विपत्र के साथ निगम मुख्यालय में प्राप्त होने एवं संबंधित एजेन्सी से राशि की प्राप्ति/प्रतिपूर्ति के उपरांत ही निगम प्रबंधन द्वारा किया जायेगा।
- (ग) संवेदक/अधिकर्ता को अपने सभी विपत्रों को अनुबंध समाप्ति की तारीख से दो महीने के भीतर प्रस्तुत कर देना चाहिए ताकि जमानत राशि को जल्द वापस की जा सके। संवेदक/अधिकर्ता को सलाह दी जाती है कि वे विपत्रों के शीघ्र निपटारे के लिए अपना विपत्र पन्द्रह दिनों पर प्रस्तुत करें।
- (घ) सामान्य रूप से विपत्र सानुलग्नक प्रस्तुत करने के बाद निगम द्वारा विपत्र का भुगतान संबंधित एजेन्सी से तत्संबंधी राशि प्राप्ति के उपरांत 15 दिनों के अंदर किया जाएगा। बकाया किसी भी विपत्र पर कोई ब्याज के भुगतान के लिए निगम उत्तरदायी नहीं होगा।
- (च) अधिकर्ता/संवेदक कार्य ग्रहण करने के 07 (सात) दिनों के अन्दर बैंक खाते का विवरणी उपलब्ध कराना होगा, जिसमें बिहार राज्य भंडार निगम से प्राप्त होने वाले सभी भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से स्थानांतरित किया जा सके।

नोट:- भारतीय खाद्य निगम/संबंधित एजेन्सी के द्वारा परिवहन एवं हथालन कार्य के विपत्र का भुगतान प्राप्त होने के उपरांत ही परिवहन एवं हथालन संवेदक/अधिकर्ताओं के विपत्र का भुगतान किया जायेगा। भारतीय खाद्य निगम/संबंधित एजेन्सी से परिवहन एवं हथालन विपत्र के भुगतान कराने हेतु संवेदक/अधिकर्ता वांछित सहयोग करेंगे।

(XVII) कार्य में विलम्ब और हड़ताल:-

अधिकर्ता/संवेदक कार्य में उन विलम्बों के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे जो उनके नियंत्रण या अधिकार क्षेत्र से बहार के कारणों से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन इस संबंध में प्रबंध निदेशक का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। अधिकर्ता/संवेदक एवं उसके कर्मचारियों के बीच वेतन या अन्य किसी विवाद के कारण संवेदक या अधिकर्ता के कर्मचारियों के द्वारा की हड़ताल को ठेकेदार के नियंत्रण से बहार का कारण नहीं माना जायेगा और संवेदक/अधिकर्ता इस कारण निगम को होने वाले किसी नूकसान



या क्षति के उत्तरदायी होगा।

(XVIII) अनुबंध का निर्देशन/निष्पादन:-

- (क) अनुबंध का निर्देशन बिहार राज्य भंडार निगम (BSWC), केन्द्रीय भंडारण निगम (CWC) और केन्द्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के निर्देशों तथा सुसंगत अधिनियम/नियमों और प्रावधानों/निदेशों तथा इस निविदा के NIT एवं MTF के अनुसरण में किया जायेगा।
- (ख) अपीलीय प्राधिकार- निगम के नियमावली के तहत अपीलीय प्राधिकार, अध्यक्ष, बिहार राज्य भंडार निगम होंगें।
- (ग) विवाद निपटारा - विधिक विवाद की स्थिति में इसके निपटान हेतु न्यायालय क्षेत्र, पटना होगा।

(XIX) पंचायती (आरबिट्रेशन):-

- (क) संवेदक/अभिकर्ताओं द्वारा किसी भी दावे के संबंध में मध्यस्थता के लिए पंच की मांग लिखित रूप में करनी होगी जो कि अनुबंध की समाप्ति के दो वर्ष के अन्दर किया जाना चाहिए। (ख) इस अनुबंध में एकरारनामे के तहत पैदा हुए सभी विवादों और विषय में हुए आपसी मतभेद के निपटारे के लिए प्रबंध निदेशक द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति पंच के रूप में मध्यस्थता करने के लिए अधिकृत होगा। यह आवश्यक नहीं है कि, ऐसा अधिकृत व्यक्ति बिहार राज्य भंडार निगम का कर्मचारी/पदाधिकारी हो। किसी को भी मध्यस्थ की नियुक्ति पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
- (ग) पंचाट हेतु नियुक्त व्यक्ति निगम के कर्मचारी/पदाधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और अनुबंध से संबंधित सभी विषयों और विवादों पर नियमानुसार विचारण उपरांत अपना अभिमत व्यक्त करेगा। उपर्युक्त प्रकार से पंचाट हेतु अधिकृत मध्यस्थ का निर्णय अंतिम होगा और कृत अनुबंध संवेदक/अभिकर्ताओं पर बाध्यकारी होगा। पंचाट हेतु नियुक्त पंच का यदि स्थानांतरण होता है या वह किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ होता है तो, प्रबंध निदेशक अन्य व्यक्ति/कर्मचारी/पदाधिकारी को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगा। ऐसा व्यक्ति पूर्ववर्ती पंच द्वारा छोड़े गए संदर्भ को आगे बढ़ाने का हकदार होगा। पंच को अपने सुझावों और निर्णयों के कारणों का उल्लेख



- करते हुए निगम के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
- (घ) मध्यस्थता के लिए स्थल का चुनाव मध्यस्थ द्वारा अपने विवेकाधिकार से तय किया जा सकता है। विवाद के संबंध में मध्यस्थ की कार्यवाही की तारीख पर संवेदक/अभिकर्ता अपने दावों और पक्षों को प्रस्तुत करेगा।
- (ङ.) मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान अनुबंध के तहत संवेदक/अभिकर्ता कार्य करते रहेंगे और विषयवस्तु से इतर यथायुक्त उसके भुगतान पर रोक नहीं लगाई जायेगी। मध्यस्थता की लागत, पंच के निर्णय के अनुसार संबंधित पक्षों द्वारा वहन किया जाएगा। प्रत्येक विवाद के संबंध में पंच को अलग-अलग भुगतान देना होगा।
- (च) पंचाट और सुलह अधिनियम 1996 उक्त विषय के रूप में इस खंड के अधीन मध्यस्थता कार्यवाही करने के लिए लागू होगी।
- (छ) विवाद निपटारा - विधिक विवाद की स्थिति में इसके निपटान हेतु न्यायालय क्षेत्र, पटना होगा।

(XX) संवेदकों/अभिकर्ताओं द्वारा दी जाने वाली सेवाएँ:-

अनुबंध के तहत खाद्यान्न/उर्वरक/कृषि उत्पाद का परिवहन एवं हथालन कार्य के लिए संवेदकों/अभिकर्ताओं द्वारा दी जाने वाली सेवाओं/किये जाने वाले कार्यों को दो भागों में बाँटा गया है :- भाग (I) एवं भाग (II)

भाग (I)- परिवहन एवं हथालन संवेदक द्वारा दी जाने वाली सामान्य सेवाएँ- प्राप्ति/निर्गमण से संबंधित।

भाग (II)- परिवहन एवं हथालन संवेदक द्वारा दी जाने वाली अन्य सेवाएँ- संग्रहीत सामग्री/मांग के संव्यवहार संबंधित

परिवहन एवं हथालन संवेदक द्वारा दी जाने वाली सामान्य सेवाएँ (भाग-I) :-

सामान्य सेवाओं में संवेदक/अभिकर्ता को गोदाम प्रबंधक/केन्द्र प्रभारी/केन्द्राधीक्षक या किसी अधिकृत अधिकारी के निर्देश पर खाद्यान्न/उर्वरक/कृषि उत्पाद के परिवहन एवं हथालन कार्य के दौरान प्लेटफार्म/ग्राउंड जहां आवश्यक हो यथा रेलवे वैगन/ट्रक/वाहन से अनलोडिंग और लोडिंग, स्टैकिंग, कच्चा स्टैकिंग या अंतरिम स्टैकिंग गोदामों के बाहर या अंदर क्षतिग्रस्त बोरो के खाद्यान्न को नए



बोरों में भरकर मानकीकरण, रिबैगिंग एवं सिलाई कर, कैरेज के लिए सिरभार (हेड लोड) के परिवर्तन से, ट्रकों द्वारा खाद्यान्न/उर्वरक का विभिन्न गोदामों/रेलवे साइडिंग तक का परिवहन करना होगा।

परिवहन एवं हथालन संवेदक/अधिकर्ताओं द्वारा दी जाने वाली अन्य सेवाएँ (भाग-11) :-

अन्य सेवाओं में संवेदक/अधिकर्ता को भौतिक सत्यापन, मानकीकरण, सफाई अनाज की सुखाई, लूज ग्रेन की रिबैगिंग, वजन, मानकीकरण के बाद बोरे की दोहरी सिलाई एवं गोदाम के समुचित रख रखाव जैसी सेवाओं को निष्पादित करना होगा।

मानकीकरण की सेवाओं, और इस तरह के अन्य संबद्ध सेवाओं के लिए आमतौर पर गोदाम प्रभारी किसी भी प्रकार के बोरे के उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। रिबैगिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सुतली की आपूर्ति ठीकेदार द्वारा की जाएगी।

यथानिर्दिष्ट सेवाओं को संवेदक/अधिकर्ता द्वारा प्रदान करना अनिवार्य होगा। उपर्युक्त उक्त सामान्य सेवाओं एवं अन्य सेवाओं की विस्तृत कार्य विवरणी अग्रांकित है।



संवेदक/अधिकर्ता द्वारा दी जाने वाली सामान्य सेवाएँ:- (भाग -1)

(A) रेलवे साइडिंग पर प्राप्त/भेजे जाने वाले/प्राप्तकर्ता को दिए गए माल के संदर्भ में

1. रेलवे साइडिंग पर अनलोडिंग और ट्रकों/अन्य वाहनों में लोडिंग

(क) संवेदक/अधिकर्ता भंडारगृह/गोदाम प्रबंधक/केन्द्र प्रभारी या किसी अधिकृत अधिकारी के निर्देश पर रेलवे वैगनों/ट्रकों/वाहनों में लोड खाद्यान्न/उर्वरक के बोरे को अनलोड कर रेलवे शेड/जमीन जैसा कि निर्देश दिया गया हो स्टैक करेगा। (vice-versa), CMR के मामले में भी ऐसा करेगा।

(ख) संवेदक/अधिकर्ता भंडारगृह/गोदाम प्रबंधक/केन्द्र प्रभारी या किसी अधिकृत अधिकारी के निर्देश पर रेलवे वैगनों/ट्रकों/वाहनों में लोड खाद्यान्न/उर्वरक के बोरे को अनलोड करते हुए, जरूरत अनुसार रेलवे प्लेटफॉर्म/जमीन पर बिना स्टैक किये उन्हें सीधे परिवहन करने वाले रेलवे वैगनों/ट्रकों/वाहनों पर लोड करेगा।

2. रेलवे माल गोदाम से खाद्यान्न/उर्वरक के बोरे का विभिन्न भंडारगृहों/केन्द्रों/गोदामों के लिए नियमित परिवहन कार्य (vice-versa):-

संवेदक/अधिकर्ता भंडारगृह/गोदाम अधीक्षक/केन्द्र प्रभारी या किसी अधिकृत अधिकारी के निर्देश पर जरूरत के अनुसार ट्रकों की व्यवस्था कर खाद्यान्न/उर्वरक के बोरे, बहाव, बुहारन आदि को रेलवे साइडिंग से विभिन्न गोदामों के लिए परिवहन करेगा (vice-versa)। संवेदक/अधिकर्ता इस बात का ध्यान रखेगा कि अलग अलग खाद्यान्न के बोरे, अलग-अलग गुणवत्ता के सही अनाज या भीगे/क्षतिग्रस्त अनाज/बुहारन आपस में न मिले।

नोट :- यह कार्यवाही सीएमआर की प्राप्ति के मामले में बोरे के स्टैक को प्लेटफॉर्म से गोदाम के अंदर करने के अनुरूप है।

3. आकस्मिक परिवहन का कार्य:-

भंडारगृह/गोदाम अधीक्षक/केन्द्र प्रभारी या किसी अधिकृत अधिकारी के निर्देश पर संवेदक/अधिकर्ता को नियमित परिवहन कार्य के अलावा आवश्यक होने पर आकस्मिक परिवहन कार्यों के लिए भी तत्पर रहना होगा। आकस्मिक परिवहन कार्यों के लिए जरूरत के अनुसार ट्रकों की व्यवस्था कर खाद्यान्न/उर्वरक के बोरे, बहाव, बुहारन आदि को रेलवे साइडिंग से विभिन्न गोदामों के लिए परिवहन करेगा (vice-versa)। संवेदक/अधिकर्ता इस बात का ध्यान रखेगा कि अलग अलग खाद्यान्न के बोरे, अलग अलग गुणवत्ता के अनाज या भीगे/खराब अनाज/बुहारन आपस में न मिले। विशेष मामलों में कम समय के नोटिस पर परिवहन की व्यवस्था करने की आवश्यकता हो सकती



है और इसका पालन करने के लिए संवेदक/अधिकर्ता बाध्य है।

4. रेलवे साइडिंग या परिवहन वाहनों से खाद्यान्न/उर्वरक के बोरो की अनलोडिंग और भंडारगृह/गोदाम में स्टैकिंग :-

संवेदक/अधिकर्ता रेलवे साइडिंग पर वैगनों/ट्रकों पर रखे अनाज के बोरो की सिरभार या सिरभार के बदले हैण्ड ट्रौली से अनलोड कर गोदाम/प्लेटफार्म जहां आवश्यक हो ढोकर आवश्यक छल्ली की ऊंचाई तक स्टैक करेगा। गोदाम/जमीन /प्लेटफार्म पर बैग के स्टैकिंग (CMR के मामले में भी लागू) के लिए पारिश्रमिक को लोडिंग और अनलोडिंग के लिए अनुबंध दरों में शामिल माना जाएगा।

5. रेलवे वैगन/ट्रक पर से अनलोडिंग और खाद्यान्न/उर्वरक को फ्लैट पिट में जमा करना:-
संवेदक/अधिकर्ता खाद्यान्न/उर्वरक के बोरो को वैगन/ट्रक से अनलोड कर जहाँ कहीं भी जरूरत है स्टैक करेगा और जरूरत के अनुसार बोरो का मुंह खोलकर अनाज/उर्वरक को फ्लैट स्टोरेज पिट में रखेगा।

6. रेलवे साइडिंग से संयुक्त भंडारगृह/गोदाम से बैगनों/ट्रकों पर प्रेषण के लिए लोडिंग:-
संवेदक/अधिकर्ता भंडारगृह/गोदाम अधीक्षक/केन्द्र प्रभारी या अधिकृत अधिकारी के निर्देश पर गोदाम के अंदर छल्ली से अनाज के बोरो को सिरभार या सिरभार के परिवर्तन या जहाँ भी आवश्यक हो हाथ ट्रॉलियों का उपयोग करके (रेलवे साइडिंग से जुड़े गोदाम) वैगनों में लोड करेगा या ट्रक या किसी अन्य परिवहन वाहन पर लोड करेगा या वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में प्लेटफार्म/जमीन पर गिने जा सकने वाले तरीके से स्टैकिंग कराएगा, जिसे खरीददार को प्रेषित किया जा सके। बोरो के स्टैकिंग/शेड/जमीन और उपरोक्त तरीके से बोरो ढोने को इसी सेवा में शामिल समझा जाएगा। ऐसे स्टैकिंग के लिए रेलवे साइडिंग में स्थित गोदाम तक परिवहन के लिए ट्रकों और गाड़ियों के उपयोग के लिए साइडिंग से गोदाम की विचारणीय दूरी होनी चाहिए और उसी स्थिति में ही ट्रकों और गाड़ियों का उपयोग करना है इसके इतर किसी भी अतिरिक्त पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाएगा।

7. एक ही परिसर में ट्रकों द्वारा रेलवे साइडिंग से वाराफेरी (vice-versa) कार्य:-
संवेदक/अधिकर्ता एक ही परिसर में स्थित रेलवे साइडिंग से गोदाम और गोदाम से रेलवे साइडिंग तक, खाद्यान्न/उर्वरक के बोरो के परिवहन के लिए भंडारगृह/गोदाम अधीक्षक/केन्द्र प्रभारी या अधिकृत अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश पर ट्रकों का वाराफेरी के लिए उपयोग करेगा, जिसके लिए संवेदक/अधिकर्ता अनुसूचित दर (SOR) अनुसार अतिरिक्त पारिश्रमिक पाने का हकदार होगा।



अनुबंध के दौरान अतिरिक्त गोदामों के निर्माण होने पर संवेदक/अधिकर्ता को उन्ही शर्तों एवं अनुसूचित दर पर कार्य करना होगा।

8. खाद्यान का वजन :-

(i) खाद्यान का वजन :- संवेदक/अधिकर्ता वजन करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन/बीम स्केल/इलेक्ट्रॉनिक वे-ब्रिज द्वारा खाद्यान के बोरो को जहाँ भी आवश्यक हो खाद्यान के बोरो का वजन करेगा। संवेदक/अधिकर्ता वे-ब्रिज (इलेक्ट्रॉनिक तुला चौकी) पर ट्रकों में प्राप्ति एवं प्रेषण के लिए लोड खाद्यान के बोरो का तौल करेगा। गोदाम में प्राप्त बोरो एवं गोदाम से प्रेषित किये गए कुल बोरो की संख्या के आधार पर अनुसूचित दर (SOR) में दिए गए दर के अनुसार कुल वजन किये गए बोरो की संख्या के 10% का ही भुगतान निगम द्वारा किया जाएगा। संवेदक/अधिकर्ता को खाद्यान के परिवहन का भुगतान अनुसूचित दर (SOR) के अनुसार, खाद्यान के कुल वजन के आधार पर गन्नी बैग (gunny bags) का वजन घटाकर किया जाएगा। मानकीकरण, सुई, रिबैगिंग आदि कार्य को संवेदक/अधिकर्ता की सेवा के भाग-II में शामिल किया गया है, जिसका भुगतान (SOR) अनुसूचित दर के अनुसार बोरो की संख्या के आधार पर किया जाएगा।

(ii) उर्वरक का वजन :- उर्वरक का वजन, मानकीकरण, रिबैगिंग जैसी सेवाओं के दौरान किया जाएगा जिसका भुगतान अनुसूचित दर (SOR) में दिए गए दर के अनुसार किया जाएगा। उर्वरक के परिवहन के लिए उर्वरक के बोरो का वजन नहीं किया जाएगा। इसे कंपनी द्वारा निर्धारित पैक किये गए मानक वजन के बराबर ही माना जाएगा एवं इसके परिवहन के पारिश्रमिक का भुगतान कुल वजन के आधार पर होगा।

9. बोरो को गोदाम के स्टैक से हटाकर फ्लैट स्टोरेज पिट में रखना :-

संवेदक/अधिकर्ता खाद्यान/उर्वरक के बोरो को गोदाम के स्टैक से हटाकर कर जहाँ कहीं भी जरूरत है बोरो की मुंह खोलकर अनाज को फ्लैट स्टोरेज पिट में रखेगा।

10. अनाज को फ्लैट पिट से बोरो में भरना और मानकीकरण :-

अनाज को पिट से लेकर बोरो में तौलकर भरने के बाद उसका मानकीकरण और सिलाई के बाद ट्रक/रेल वैगन में लोड करना।



संवेदक/अधिकर्ता द्वारा दी जाने वाली अन्य सेवाएँ :- (भाग - II)

11. भौतिक सत्यापन के अंतर्गत :-

संवेदक/अधिकर्ता आवश्यक बोरो के भौतिक सत्यापन करने के अंतर्गत छल्ली (स्टैकिंग) से बोरो हटाकर वजन करने के लिए कांटा तराजू पर तौलकर गोदाम के अंदर या बाहर जैसा निर्देश हो स्टैकिंग करेगा और जरूरत के अनुसार दूसरे गोदाम में रिस्टैकिंग करेगा जिसका भुगतान (SOR) के अनुसूचित दर के अनुसार बोरो की कुल संख्या के आधार पर किया जाएगा।

12. मानकीकरण :-

भंडारगृह/गोदाम प्रबंधक या अधिकृत अधिकारी के आदेश पर मानकीकरण की सेवाओं के लिए संवेदक/अधिकर्ता अपने श्रमिकों, कांटा तराजू के साथ लूज ग्रेन की रिबैगिंग करेगा। लूज बैग का मुंह काटकर खाली बोरो में, लूज ग्रेन डालकर, तराजू पर वजन कर मानकीकरण के बाद बोरो की दोहरी सिलाई सुतली से करेगा। संवेदक/अधिकर्ता को मानकीकरण सेवा का भुगतान बोरो की संख्या के अनुसार किया जाएगा।

13. खाली बोरो की एक निर्धारित वजन में सिलाई और स्टैकिंग/डिलीवरी

संवेदक/अधिकर्ता जहां आवश्यक हो श्रमिकों द्वारा, गोदामों में उपलब्ध किसी जगह पर लूज ग्रेन का ढेर बनाकर बुहारन, क्षतिग्रस्त अनाज, आदि का ढेर (Palla) बनाकर खाली बोरो में भरकर वजन करने, सिलाई करने में सभी मानकों का पालन करेगा और बोरो को छल्ली बनाकर गोदाम प्रबंधक के निर्देश पर प्राप्तकर्ता को भेजेगा।

14. सफाई :-

संवेदक/अधिकर्ता जब आवश्यक होगा अपने प्रत्येक केन्द्र हेतु कम से कम 04 श्रमिकों के साथ, खाद्यान्न, बुहारन, कचरा आदि को गोदाम प्रबंधक या अधिकृत अधिकारी के निर्देश पर साफ करेगा। उन्हें वजन करने और सिलाई करने से पूर्व सूप, चलनी या सफाई करने की मशीनों से या अन्य तरीकों के माध्यम से सफाई करेगा। साफ अनाज को बोरो में भरने के बाद उसका वजन कर मानकीकृत करने के बाद सिलाई कर स्टैकिंग करेगा या निर्देशानुसार उन्हें वैगन/ट्रकों/ परिवहन वाहनों



में लोड करेगा। इस सेवा का भुगतान केवल सफाई और मानकीकरण के बाद प्राप्त बोरे की संख्या के आधार पर किया जाएगा।

15. क्षतिग्रस्त हुए अनाज को सुखाना :-

संवेदक/अधिकर्ता क्षतिग्रस्त अनाज को, जब भी आवश्यक हो सुखाने का कार्य करेगा। खाद्यान्न को सुखाने के लिए बोरे को गोदाम या उसके बाहर ले जाकर, बोरे का मुंह काटकर खाद्यान्न को फैलाने के बाद सुखायेगा। अनाज सूख जाने के बाद ढेर बनाकर, उसे खाली बोरे में भरकर निर्धारित वजन करने के बाद सिलाई कर गोदाम में स्टैक या जैसा निर्देशित हो, प्रेषित करेगा। इसके तहत भुगतान केवल सुखाने और मानकीकरण के बाद प्राप्त बैग की संख्या के आधार पर किया जायेगा।

16. रिबैगिंग :-

संवेदक/अधिकर्ता कटे-फटे बोरो से लूज ग्रेन/उर्वरक निकालकर, संबंधित संस्थान द्वारा आपूर्ति की गई नए बोरे में भरेगा। रिबैगिंग करने में बोरे का मुंह काटकर, खाद्यान्न/उर्वरक के खाली बोरे में भरकर निर्धारित वजन करने के बाद सिलाई कर, गोदाम में स्टैक या जैसा निर्देशित हो, प्रेषित करेगा। इस सेवा के तहत भुगतान केवल रिबैगिंग के बाद प्राप्त बोरे की संख्या के आधार पर किया जाएगा।

17. खुले वैगनों का लदान :-

संवेदक/अधिकर्ता रेल के खुले डिब्बे में जहां आवश्यक हो लोडिंग और अनलोडिंग करेगा। सामान्य कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के अलावा, संवेदक/अधिकर्ता खुले वैगनों की हथालन के लिए प्रासंगिक अन्य सभी सहायक सेवाओं को उपलब्ध कराएगा।

18. बाँक्स वैगन का लदान :-

संवेदक/अधिकर्ता रेल के बाँक्स (ओपन) वैगन खुले डिब्बे में जहां आवश्यक हो लोडिंग और अनलोडिंग करेगा। सामान्य कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के अलावा, संवेदक/अधिकर्ता खुले वैगनों की हथालन के लिए प्रासंगिक अन्य सभी सहायक सेवाओं का प्रदर्शन करेगा।

19. बोरो की रिस्टैकिंग :-

जब आवश्यक हो संवेदक/अधिकर्ताओं को गोदाम में बोरो की रिस्टैकिंग के लिए कहा जाएगा। गोदाम में किसी भी ढेर से बोरो को हटाकर गोदाम के अन्दर दूसरी जगह पर निर्दिष्ट ऊंचाई तक रख कर रिस्टैकिंग करना होगा।



20. बिखरे हुए बोरों की संग्रह :-

संवेदक/अधिकर्ताओं जब आवश्यक हो गोदामों से बिखरे हुए बोरों को इकट्ठा कर उसी या अन्य गोदाम में निर्दिष्ट ऊंचाई के लिए स्टैक करेगा।

21. खाली बोरों का बंडल बनाना :-

संवेदक/अधिकर्ता विभिन्न आपरेशनों के बाद खाली हुए बोरों को इकट्ठा करेगा और उन्हें 25 या 50 के बंडलों में गोदाम अधीक्षक या अन्य अधिकारी द्वारा बताये गए स्थान पर भंडारण करेगा। बंडलो की बाहरी सतह सिलाई कर इस प्रकार रखा जाएगा की, इसकी गिनती कर संख्या को सत्यापित किया जा सके। इस सेवा के लिए पारिश्रमिक संवेदक/अधिकर्ता द्वारा आपूर्ति किए जाने वाली सुतली की लागत के समावेशी होना समझा जाएगा।

22. बोरों पर स्टैंसिलिंग (चिन्हितकरण) :-

संवेदक/अधिकर्ता अपने कर्मचारियों और स्टैंसिलिंग सामग्री से बोरों पर प्रेषित सामग्री का नाम, सामग्री का वजन, के ब्यौरे अंकित करेगा। पूर्ण रूप से लोड वैगन में गंतव्य स्टेशन का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में स्टैंसिल करेगा। संवेदक/अधिकर्ता, भंडारगृह प्रभारी/गोदाम अधीक्षक या अधिकृत अधिकारी की अनुमति से स्टैंसिल करने के बजाय ब्रश और अमिट स्याही से बोरों को चिन्हित कर सकते हैं।

23. दो सचेतकों के साथ वाराफेरी के लिए ट्रकों की आपूर्ति :-

जब भी गोदाम अधीक्षक या अधिकृत अधिकारी की तरफ से विविध परिवहन के संचालन के लिए एक गोदाम से खाद्यान्न को दूसरे गोदाम में परिवहन के लिए, पूरा दिन या आधे दिन के लिए ट्रकों की आवश्यकता होगी तो, संवेदक/अधिकर्ता पूरा दिन या आधे दिन के लिए ट्रकों की आपूर्ति दो सचेतकों के साथ करेगा। सचेतकों का शुल्क ट्रक की आपूर्ति के साथ शामिल समझा जाएगा और सचेतकों के लिए अलग से कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाएगा।

24. आकस्मिक श्रमिकों की आपूर्ति :-

संवेदक/अधिकर्ता भंडारगृह/गोदाम प्रबंधक या अधिकृत अधिकारी के आदेश पर कम समय में पुरुष या महिला श्रमिकों की इतनी संख्या की आपूर्ति करेगा कि झाड़ू देना, छिड़काव करना या आवश्यक धुमीकरण, रोगनिरोधी/उपचारात्मक उपायों को सुगमता से निबटाया जा सके। आकस्मिक मजदूरों को दैनिक न्यूनतम श्रम मजदूरी से कम का भुगतान नहीं होना चाहिए।

25. माल को ढंकना :-



खाद्यान/उर्वरक को ढँकने के लिए तिरपाल, गोदाम में नीचे बिछाने के लिए प्लास्टिक, यानि कवर करने के लिए आवश्यक सामग्री का लोडिंग/अनलोडिंग का कार्य।

26. बोरों का स्थानांतरण :-

संवेदक/अधिकर्ता गोदाम प्रबंधक या किसी अधिकृत अधिकारी के निर्देश पर जब आवश्यक हो, खाद्यान/उर्वरक के बोरों का एक ट्रक से दुसरे ट्रक/वाहन पर बोरों को जमीन पर रखे बिना सीधा दुसरे वाहन में लोडिंग या हस्तांतरण करेगा। इस सेवा/कार्य का भुगतान (SOR) में दिए गए दर के आधार पर किया जाएगा।

XXI. संवेदक/अधिकर्ता के अन्य कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ :-

1. संवेदक/अधिकर्ता हमेशा उचित परिश्रम के साथ, एक व्यापार की तरह दिए गए निर्देशों के अनुसार अच्छे ढंग से कार्य करेगा और कार्यों के संचालन में सामान्य विवेक, सफल प्रबंधन और कौशल का उपयोग करेगा। वे खाद्यानों/उर्वरक का समुचित संधारण हेतु वांछित सहयोग प्रदान करेंगे।
2. संवेदक/अधिकर्ता अपने कर्मचारियों की उपेक्षा, लापरवाही व अभद्र आचरण के लिए जिम्मेदार होंगे।
3. संवेदक/अधिकर्ता बारिश के दौरान खाद्यान/उर्वरक के बोरों को ढँकने के लिए पर्याप्त मात्रा में तिरपाल उपलब्ध कराएँगे और खाद्यानों की सुरक्षा और किसी प्रकार की क्षति के लिए जिम्मेदार होंगे। ऐसा करने में विफल होने पर क्षतिग्रस्त हो रहे माल के लिए जिम्मेदार होंगे और क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होंगे।
4. संवेदक/अधिकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके श्रमिकों से किसी भी स्तर पर हुक का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उर्वरक के लिए हुक का उपयोग, अनुबंध रद्द करने के लिए पर्याप्त होगा। इस तरह के नुकसान के बारे में गोदाम अधीक्षक का निर्णय अंतिम होगा जो संवेदक/अधिकर्ताओं के लिए बाध्यकारी होगा।
5. संवेदक/अधिकर्ता या उनके कर्मचारी प्रत्येक वैगन की जाँच करेंगे, अगर ऐसा पाया जाता है कि माल प्रेषण करने वाले रेलवे साइडिंग का ओरिजिनल सील वैगन पर नहीं है, या रिसील है या सील के साथ कोई छेड़-छाड़ किया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में संवेदक/अधिकर्ता बिहार राज्य भंडार निगम के सम्बंधित गोदाम प्रभारी को सूचित करेंगे। निगम के गोदाम प्रभारी इसकी सूचना FCI या जिस एजेंसी का स्टॉक है उसके अधिकृत अधिकारी को देंगे। संवेदक/अधिकर्ता से प्राप्त सूचना के आधार पर निगम के गोदाम प्रभारी रेलवे माल गोदाम के अधीक्षक और FCI या जिस एजेंसी का स्टॉक है, उनके अधिकृत अधिकारी इस सम्बन्ध में आगे की कार्रवाई करेंगे। प्राप्त माल की गुणवत्ता तय करने की जिम्मेवारी गोदाम अधीक्षक और जमाकर्ता एजेंसी के अधिकारी के आपसी सहमति द्वारा तय किया जाएगा। यदि सम्बंधित जमाकर्ता रेलवे

साइडिंग पर माल के गुणवता का निर्धारण स-समय नहीं करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में रेलवे द्वारा यदि कोई wharfage या demurrage लगाया जाता है तो उसके लिए बिहार राज्य भंडार निगम जिम्मेदार नहीं होगा। इस तरह की खेप की डिलीवरी रेलवे प्रतिनिधि की उपस्थिति में लिया जा सकता है।

6. संवेदक/अधिकर्ता प्रत्येक वैगन से उतारे गए बोरों की संख्या का रिकार्ड रखेंगे और यदि किसी वैगन में सील सही रहने के बावजूद बोरों की संख्या कान्वाय नोट/रेलवे रिसिप्ट (RR) से कम हो, क्षतिग्रस्त हो, खाद्यान्न की गुणवता में कोई कमी या हास हो तो संवेदक/अधिकर्ता इसकी सूचना बिहार राज्य भंडार निगम के गोदाम अधीक्षक को देंगे। प्राप्त सूचना के आधार पर निगम के गोदाम अधीक्षक, रेलवे माल गोदाम के अधीक्षक और FCI या जिस एजेंसी का स्टॉक है, आगे की कारवाई करेंगे। यदि जिस एजेंसी का स्टॉक है उसके अधिकृत अधिकारी द्वारा टाल-मटोल की नीति अपनाई जाती है तो सम्बंधित निगम के गोदाम अधीक्षक द्वारा निगम को सुपुर्द किये गए सभी वैगन के खाली होने के छह घंटे के अन्दर ई-मेल द्वारा सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इसकी सूचना देंगे, जो जमाकर्ता एजेंसी को मान्य होगा।
7. रेलवे साइडिंग पर स्टॉक का वजन और बोरों की संख्या जमाकर्ता एजेंसी द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र (FORM-'M') के आधार पर यदि परिवहन के उपरांत FCI के द्वारा मानक मार्ग क्षति की सीमा से ज्यादा पायी जाती है तो, संवेदक/अधिकर्ता इसके लिए पुर्णतः जिम्मेवार होंगे और एजेंसी द्वारा काटी गयी राशि के समतुल्य संवेदक/अधिकर्ता के विपत्र से राशि का कटौती कर लिया जाएगा। एजेंसी द्वारा यदि कोई राशि निगम को वापस प्राप्त होता है जिसे भूतकाल में निगम के विपत्र से अवरूद्ध/कटौती कर लिया गया था तो ऐसी परिस्थिति में निगम संवेदक/अधिकर्ता को उस राशि का भुगतान करेगा। रेलवे द्वारा स्टॉक के प्रेषित स्थल से स्टॉक के प्राप्ति स्थल के परिवहन के दौरान यदि वजन और बोरों की संख्या में या माल की गुणवता में कोई हास या नुकसान होता है, तो निगम इसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा। बिहार राज्य भंडार निगम को सुपुर्द वैगन में यदि RR के वजन के आधार पर बोरों का औसत वजन और इलेक्ट्रॉनिक धर्मकांटा पर बोरों के औसत वजन में, यदि तुलनात्मक अंतर FCI के द्वारा निर्धारित अधिकतम मार्ग क्षति की सीमा से ज्यादा है तो, ऐसी परिस्थिति में बिहार राज्य भंडार निगम के संबंधित गोदाम प्रभारी को आवश्यकता महसूस होने पर एजेंसी द्वारा सुपुर्द किये गए वैगन में से कम से कम (जैसी आवश्यकता महसूस हो) एक वैगन की तौलाई रेलवे साइडिंग पर कराएगा, जिसकी तौलाई की व्यवस्था के लिए संवेदक/अधिकर्ता बिहार राज्य भंडार निगम के अधीक्षक के निर्देश पर काँटा तराजू उपलब्ध कराएगा, तौलाई किये गए बोरों के वजन का डाक पट्टी (वजन तालिका) तैयार किया जाएगा, जिस आधार पर प्राप्त औसत वजन और इलेक्ट्रॉनिक धर्मकांटा (वे-ब्रीज) पर ट्रकों का औसत वजन में यदि तुलनात्मक रूप से ज्यादा का अंतर होने पर यदि FCI द्वारा कोई कटौती की जाती है तो समतुल्य राशि संवेदक/अधिकर्ता के विपत्र



से काट लिया जाएगा। डाक पट्टी (वजन तालिका) में कम से कम दो अधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर होगा जो क्रमशः (1) अधीक्षक बिहार राज्य भंडार निगम या उनके द्वारा अधिकृत किये गये अधिकारी (2) FCI के द्वारा अधिकृत अधिकारी या जिस एजेंसी का स्टॉक है उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी (3) संबंधित रेलवे साइडिंग माल गोदाम के अधिकारी। इस कार्य में तौलाई पर आने वाले खर्च का भुगतान निगम द्वारा संवेदक/अधिकर्ता को नहीं किया जाएगा।

8. संवेदक/अधिकर्ता यदि दोषपूर्ण स्टैकिंग करता है तो स्टैक के गिरने पर उसे रिस्टैक करना होगा जिसका पारिश्रमिक संवेदक/अधिकर्ता को नहीं दिया जाएगा क्योंकि स्टैकिंग की जिम्मेवारी संवेदक/अधिकर्ता की है।



ANNEXURE-II

बिहार राज्य भंडार निगम

निविदा सूचना सं०- TH-04/2025-26

बिहार राज्य भंडार निगम अन्तर्गत खाद्यान्न/उर्वरक के परिवहन एवं हथालन कार्य के लिए :-

तकनीकी बोली (Technical Bid)

तकनीकी निविदा में अपलोड किये जाने वाले कागजात/प्रमाण पत्र/शपथ पत्र वांछित/आवश्यक कागजातों/प्रमाण पत्रों/शपथ पत्रों की सूची में लिखित निर्मांकित सभी कागजात/प्रमाण पत्र/शपथ पत्र की स्कैन कॉपी तकनीकी निविदा के साथ अपलोड करना है।

(1)	निविदादाता/सम्बेदक का भारतीय नागरिक होने का शपथ पत्र	आवश्यक।
(2)	निविदादाता/सम्बेदक का आधार कार्ड की स्वहस्ताक्षरित प्रति।	आवश्यक।
(3)	निविदादाता/सम्बेदक का पैन कार्ड की स्वहस्ताक्षरित प्रति जिसकी विवरणी अग्रांकित है:- a) व्यक्तिगत के लिए (निविदादाता का पैन कार्ड) b) फर्म के लिए (फर्म का पैन कार्ड) c) कम्पनी के लिए (कम्पनी का पैन कार्ड) d) समिति के लिए (समिति का पैन कार्ड)	आवश्यक।
(4)	निविदादाता/सम्बेदक का स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट आकार का दो फोटो।	आवश्यक।
(5)	निविदादाता/सम्बेदक एवं उनके संस्थान के सभी सहभागियों (पार्टनर/डायरेक्टर/सदस्य) का आचरण प्रमाण पत्र जिलाधिकारी अथवा पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वहस्ताक्षरित प्रति।	आवश्यक।
(6)	निविदादाता/सम्बेदक का आवासीय प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी/सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वहस्ताक्षरित की प्रति।	आवश्यक।
(7)	निविदादाता/सम्बेदक /संस्थान का GST निबंधन प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति।	आवश्यक।
(8)	एकल/व्यक्तिगत मालिक होने की स्थिति में तत्संबंधी विहित प्रपत्र में शपथ पत्र।	आवश्यक।



(9)	<p>फर्म कम्पनी एवं समिति की स्थिति में निम्नानुसार कागजात की स्वहस्ताक्षित प्रति जमा करना होगा:-</p> <p>a) फर्म/पार्टनरशिप फर्म के लिए रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड।</p> <p>b) कम्पनी के लिए Registrar of Company द्वारा निर्गत Certificate of Incorporation तथा Memorandum of Association एवं Article of Association और Resolution.</p> <p>c) समिति के लिए समिति का Registration Certificate एवं उसका अद्यतन निर्वाचन प्रमाण पत्र, Bye Laws तथा उसका Resolution.</p> <p>d) संस्थान के प्रतिनिधि के रूप में निविदादाता होने की स्थिति में प्राधिकृत पत्र/पावर ऑफ अटॉर्नी विहित प्रपत्र में संलग्न करना होगा।</p>	<p>फर्म/पार्टनरशिप फर्म और कंपनी तथा समिति के लिए आवश्यक।</p>
(10)	<p>ट्रक का स्वामित्व/एकरारनामा:-</p> <p>निविदादाता/सम्वेदक के स्वामित्व का 10 (दस) ट्रक (न्यूनतम) एवं निविदादाता/सम्वेदक के साथ एकरारनामा का 10 (दस) ट्रक। तत्संबंधी विहित प्रपत्र में विवरणी एवं कागजात अपलोड करना आवश्यक है।</p> <p>नोट:- (क) ट्रक का Gross Vehicle Weight (GVW) 16,200 Kg या उससे अधिक होना चाहिए।</p> <p>(ख) निविदादाता/सम्वेदक के स्वामित्व के ट्रक की संख्या उपर्युक्त न्यूनतम से जितनी अधिक होगी, उस अनुरूप एकरारनामा का ट्रक वांछित नहीं होगा।</p> <p>समर्पित किये गये स्वामित्व एवं एकरारनामा वाले ट्रकों का निबंधन प्रमाण पत्र/अद्यतन कर भुगतान (Tax Token) प्रमाण पत्र/अद्यतन बीमा पत्र/अद्यतन फिटनेस प्रमाण पत्र एवं अद्यतन परमिट पत्र (बिहार/झारखण्ड में मान्य) का छायाप्रति, निविदादाता/सम्वेदक द्वारा स्वहस्ताक्षरित/सत्यापित कर समर्पित करना अनिवार्य होगा।</p>	<p>आवश्यक।</p>
(11)	<p>आयकर रिटर्न:- निविदादाता/सम्वेदक के विगत तीन वर्षों के आयकर रिटर्न की प्रति। (NIT/MTF के अनुसार) ।</p>	<p>आवश्यक।</p>
(12)	<p>वार्षिक टर्न ओवर:- निविदादाता/सम्वेदक के तीन वर्षों का औसत वार्षिक टर्न ओवर, केन्द्र/भंडारगृह के अनुमानित टर्न ओवर का कम-से-कम 30% होना चाहिए। निविदाकर्ता को बोली के साथ (Audited Balance Sheet तथा Profit & Loss A/c एवं Turnover Certificate UDIN के साथ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट तथा लाभ-हानि खाते का विवरण अपलोड</p>	<p>आवश्यक।</p>

	करना आवश्यक है।	
(13)	अनुभव प्रमाण पत्र:- कृषि उत्पाद/खाद्यान्न/बीज/खाद/उर्वरक/मोटा अनाज/सीमेंट/चीनी / अन्य अधिसूचित वस्तुओं के रेल रेक के परिवहन एवं हथालन संवेदक के रूप में कार्य संपादन करने का कार्यानुभव (NIT/MTF के अनुसार) ।	आवश्यक।
(14)	निविदादाता/सम्बेदक का EPF कोड संख्या होने का प्रमाण पत्र (NIT/MTF के अनुसार)।	आवश्यक।
(15)	(i) बिहार राज्य भंडार निगम के पदाधिकारी/कर्मि एवं उनके निकटतम परिजन (माता/पिता/पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री/भाई/बहन/ससुराल पक्ष के संबंधी) निविदा देने के पात्र नहीं होंगे। इस संबंध में शपथ पत्र संलग्न विहित प्रपत्र में समर्पित करना होगा। (ii) सजायापता/सिद्ध दोषी/सरकारी राशि के दुरुपयोग/गबन के दोषी, किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थान द्वारा काली सूचीबद्ध/प्रतिबंधित (Debarred) तथा जिनकी अग्रधन (EMD)/प्रतिभूति राशि (Security Deposit)/बैंक गारंटी (BG) जब्त की गई हो एवं अनर्हित (Disqualified) हो तथा जन वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ती धारी / Door Step Delivery अभिकर्ता/चावल मिल मालिक एवं फ्लावर मिल मालिक एवं उससे संबंधित फर्म निविदा देने के पात्र नहीं होंगे। तत्संबंधी कार्यपालक दण्डाधिकारी स्तर से विहित प्रपत्र में निर्गत शपथ पत्र जमा करना होगा।	आवश्यक।
(16)	निविदा प्रपत्र (BOQ) का मूल्य GST सहित रु. 29,500/- (उन्तीस हजार पाँच सौ) का Internet Payment Gateway (IPG)/Challan के माध्यम से https://eproc2.bihar.gov.in पर होगा। विहित प्रपत्र के साथ प्रत्येक भंडारगृह/केन्द्र के लिए अलग-अलग अपलोड/समर्पित करना होगा।	आवश्यक।
(17)	अग्रधन राशि (EMD) का Internet Payment Gateway (IPG)/Challan के माध्यम से https://eproc2.bihar.gov.in पर होगा। विहित प्रपत्र के साथ प्रत्येक भंडारगृह/केन्द्र के लिए यथानिदिष्ट अलग-अलग जमा करना होगा।	आवश्यक।
(18)	निविदादाता/सम्बेदक एवं उनके संस्थान के सभी सहभागियों (पार्टनर/डायरेक्टर/सदस्य) का विवरण संलग्न विहित प्रपत्र में समर्पित करना होगा।	आवश्यक।
(19)	पावर ऑफ अटॉर्नी/प्राधिकृति पत्र (यदि लागू हो) संलग्न विहित प्रपत्र में जमा किया जाना चाहिए।	आवश्यक।



नोट:- उपर्युक्त वांछित कागजात/शपथ पत्र/प्रमाण पत्र तकनीकी बोली अन्तर्गत अपलोड/जमा करना आवश्यक है।



भारतीय नागरिकता का शपथ पत्र

मैं उम्र वर्ष, पिता..... जो
की ग्राम/मुहल्ला/वार्ड नंबर थाना पोस्ट ऑफिस..... जिला
का निवासी हूँ और भारतीय नागरिक हूँ। मेरे पास भारत के अलावा किसी भी देश की नागरिकता
प्राप्त नहीं है। नागरिकता के संबंध में मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूरी तरह सत्य है।

1 गवाह का नाम व हस्ताक्षर

(.....)

शपथकर्ता का नाम

(.....)

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

(.....)

2 गवाह का नाम व हस्ताक्षर

(.....)



निविदा में शामिल एकल मालिक/व्यक्तिगत का शपथ पत्र

मैं उम्र वर्ष, पिता जो की ग्राम/मुहल्ला/वार्ड नंबर थाना पोस्ट ऑफिस जिला का निवासी हूँ। मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मैं फर्म/व्यक्तिगत एकल मालिक हूँ और मेरा कोई पार्टनर नहीं है, मैं बिहार राज्य भंडार निगम द्वारा प्रकाशित परिवहन एवं हथालन निविदा में स्वेच्छा से शामिल हो रहा हूँ।

1 गवाह का नाम व हस्ताक्षर

(.....)

शपथकर्ता का नाम

(.....)

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

(.....)

2 गवाह का नाम व हस्ताक्षर

(.....)



Proforma of Bank Guarantee of Security Money Deposit

(To be submitted on non-judicial stamp paper of appropriate value purchased in the name of the issuing Bank)

This Deed of Guarantee made this ____ day of ____ between ____ (Name of Bank) having its registered office at ____ (place) and one of its local offices at ____ (hereinafter referred to as the Surety), in favour of Bihar State Warehousing Corporation, Patna, having its head office at B-2, 1st Floor, Maurya Lok Complex, Near Dak Bunglow, Patna, Bihar- 800001 (hereinafter referred to as BSWC).

WHEREAS M/s _____ (hereinafter referred to as “Tenderer”) having its registered office at _____ is bound to furnish Performance Guarantee in the form of Bank Guarantee with BSWC in connection with the award of a Tender for Handling & Transport Contract at _____ (name of the centre)

WHEREAS the Tenderer as per clause no. ____ of terms and conditions of the tender No. ____ dated ____ has agreed to furnish Performance Guarantee by way of Bank Guarantee for Rs. ____ for due performance of all obligations under the contract within fifteen working days from the date of acceptance of tender.

NOW THIS WITNESSETH:

1. That the Surety in consideration of the above tender made by the Tenderer to BSWC hereby undertake to pay on demand by the BSWC and without demur, and without notice to the Tenderer, the said amount of Rs. ____ (Rupees _____).
2. This Guarantee shall not be affected/discharged by any infirmity or irregularity on the part of the Tenderer and by dissolution or any change in the constitution of BSWC, Tenderer or the Surety.
3. The Surety shall not and cannot revoke this guarantee during its currency except with previous consent of BSWC in writing.
4. Notwithstanding anything contained in the foregoing, the Surety's liability under this Guarantee is restricted to Rs. ____ (Rupees _____).
5. This Guarantee shall remain in force and effective upto ____.
6. The Surety will make the payment pursuant to the Demand issued by BSWC notwithstanding any dispute or disputes raised by the Tenderer against BSWC, Bank or any other person(s) in any suit or proceeding pending before any Court or Tribunal as the Surety's liability under this guarantee is absolute and unequivocal.



7. Any forbearance, act or omission on the part of BSWC in enforcing any of the conditions of the said Tender or showing any indulgence by BSWC to the Tenderer shall not discharge the Surety in any way and the obligations of the Surety under this Guarantee shall be discharged only on the written intimation thereof being given to the Surety by BSWC.
8. Notwithstanding anything contained hereinabove, unless a demand or claim under this Guarantee is made on the surety in writing on or before _____ the Surety shall be discharged from all liabilities under this Guarantee thereafter.
9. The Surety has the power to issue this Guarantee under its Memorandum and Articles of Association and the person who is hereby executing this Deed has the necessary powers to do so under the authority conferred on him by the bank..



रेल रोक के परिवहन एवं हथालन कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परिवहन एवं हथालन कार्य के संवेदक हैं। इनके द्वारा किया गया कार्य संतोषप्रद रहा है। परिवहन एवं हथालन कार्य का वर्षवार विवरणी निम्नवत् है:-

Sl. No.	Name of Client/ Customer/ Institution	Nature of work/ contract executed	Contract Period	Commo dities Handled	Total value of work/ contract executed(in Rs.)		Financial year wise breakup of the work/ contract executed		Whether work executed satisfactorily (Yes/No)	Remarks
					Handling	Transportation	FY	Amount		
1										
2										
3										
4										
5										

*The award letter of the contract is to be attached by the bidder.

Signature of the Officer

Name –

Designation –

Seal -



संबंधी/रिश्तेदार नहीं होने का शपथ पत्र

मैं उम्र पिता जो की ग्राम/मुहल्ला/वार्ड नंबर
..... थाना पोस्ट ऑफिस जिला का स्थायी निवासी हूँ और
यह शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि बिहार राज्य भंडार निगम में कार्यरत कोई भी
पदाधिकारी/कर्मि मेरा निकटतम संबंधी (अभिप्रेत है माता/पिता/भाई/बहन/पुत्र/पुत्री/पती/पत्नी या
ससुराल पक्ष के संबंधी) नहीं है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ यदि उपर्युक्त में से कोई कार्यरत पाया जाता है तो निविदा रद्द
करने के साथ ही कानूनी कार्रवाई करने का पात्र / भागी रहूँगा।

1 गवाह का नाम व हस्ताक्षर

(.....)

शपथकर्ता का नाम

(.....)

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

(.....)

2 गवाह का नाम व हस्ताक्षर

(.....)



काली सूची में दर्ज/प्रतिबंधित/अनर्हित आदि नहीं होने का कार्यपालक दण्डाधिकारी स्तर से निर्गत

शपथ पत्र

मैं उम्र पिता जो की ग्राम/मुहल्ला/वार्ड नंबर
थाना पोस्ट ऑफिस जिला का स्थायी निवासी हूँ और यह शपथ पूर्वक
घोषणा करता/करती हूँ कि

- 1) मैं/मेरे पार्टनरशीप फर्म/कम्पनी/समिति के कोई साझेदार अथवा कम्पनी के निदेशक/प्रवर्तक के विरुद्ध किसी भी अपराधिक या सिविल मामले में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध नहीं किया गया है।
- 2) नियमों/निदेशों के असंगत आचरण/कार्य के कारण काली सूची अथवा कार्य करने हेतु प्रतिबंधित नहीं किया गया है।
- 3) किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार के किसी भी संस्थान द्वारा किसी कारणवश भी अग्रधन (EMD) अथवा प्रतिभूति राशि (Security Money)/ बैंक गारंटी (BG) की जब्ती या कटौती नहीं की गई है एवं अनर्हित (Disqualified) नहीं हूँ।
- 4) मैं या मेरे परिवार का कोई सदस्य जनवितरण प्रणाली विक्रेता/ डोर स्टेप डिलेवरी अभिकर्ता/ चावल मिल मालिक/ फ्लावर मिल मालिक के रूप में कार्यरत नहीं है।
- 5) असंतोषजनक कार्य के लिए किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार या इसके अधीन एजेन्सियों द्वारा दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।
- 6) मेरे द्वारा समर्पित तथ्य/वांछित कागजात/शपथ पत्र/ प्रमाण पत्र आदि सही वो सत्य है। उपर्युक्त के गलत/छद्म/फर्जी पाये जाने पर कानूनी कार्रवाई का भागीदार होऊंगा।

1 गवाह का नाम व हस्ताक्षर

शपथकर्ता का नाम

(.....)

(.....)

2 गवाह का नाम व हस्ताक्षर

शपथकर्ता का हस्ताक्षर

(.....)

(.....)



DETAILS OF E-PAYMENT GATEWAY/CHALLAN PAYMENT OF BOQ & EMD, ETC.

Tender No.:-

1. Name of Warehouse/Centre :
2. Name of the Tenderer:
3. PAN No.:
4. Bank Name:
5. Bank Account No.:
6. IFSC Code:
7. Name of the Account Holder:
8. Amount Remitted for BOQ:
9. UTR No. & Date of BOQ:
(Enclose proof)
10. Amount Remitted for EMD:
11. UTR No. & Date of EMD :
(Enclose proof)
12. Bank Branch Address:
13. Mobile Number of Tenderer:
14. Email ID of Tenderer:

Date:

(Signature of Tenderer)

Place:

.....

(Full Name)

Address



निविदा हेतु दिए गए निविदादाता/सम्बेदक का व्यक्तिगत/फर्म के सहभागी/पार्टनर/ डायरेक्टर/सदस्य का विवरण:-

फर्म/पार्टनरशीप/कम्पनी/समिति का नाम एवं पता	सहभागी/पार्टनर/डायरेक्टर/सदस्य का नाम				
	क्रम सं०	नाम	पदनाम	राष्ट्रीयता	आधार कार्ड संख्या
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				



पॉवर ऑफ एटॉर्नी

मैं उम्र वर्ष, पिता..... जो
की ग्राम/मुहल्ला/वार्ड नंबर थाना पोस्ट ऑफिस..... जिला
का निवासी हूँ। मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि डायरेक्टर हैं जिनका नाम 1.....
.....2.....3..... 4..... है। इन सभी डायरेक्टर ने मुझे स्वेच्छा से
बिहार राज्य भंडार निगम में परिवहन एवं हथालन कार्य की निविदा में शामिल होने, डिजिटल
हस्ताक्षर करने, निविदा के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए पूरी तरह से अधिकृत करते हुए
पॉवर ऑफ एटॉर्नी दिया है। मुझे पॉवर ऑफ एटॉर्नी दिए जाने के लिए सभी डायरेक्टर ने नीचे
हस्ताक्षर कर अपनी सहमति प्रदान की है।

1 गवाह का नाम व हस्ताक्षर

(.....)

पॉवर ऑफ एटॉर्नी का नाम

(.....)

पॉवर ऑफ एटॉर्नी का हस्ताक्षर

2 गवाह का नाम व हस्ताक्षर

(.....)

1. डायरेक्टर का नाम

हस्ताक्षर (.....)

2. डायरेक्टर का नाम

हस्ताक्षर (.....)

3. डायरेक्टर का नाम

हस्ताक्षर (.....)



प्राधिकृति पत्र

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य भंडार निगम,
पटना।

प्राधिकृति पत्र धारण
करने वाले व्यक्ति की
अभिप्रमाणित फोटो

संदर्भ:- सूचना संख्या-..... दिनांक

महाशय,

निम्नलिखित व्यक्ति को अद्योहस्ताक्षरी द्वारा फर्म..... के
प्रतिनिधि के रूप में आवेदन करने एवं अग्रतर कार्यार्थ प्राधिकृत किया जाता है:-

प्राधिकृत व्यक्ति की विवरणी

- 1) नाम :-
- 2) आधार कार्ड संख्या :-
- 3) पैन नम्बर :-
- 4) मोबाईल नम्बर :-
- 5) पता :-
- 6) ईमेल पता :-
- 7) प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर :-

उपर्युक्त प्राधिकृत व्यक्ति को अद्योहस्ताक्षरी द्वारा फर्म के प्रतिनिधि के रूप में किये गये
कार्य/विनिश्चय एवं निर्णय मान्य होगा।

तिथि :-

प्राधिकृत करने वाले अधिकृत
(Authorised) व्यक्ति का नाम एवं
हस्ताक्षर तथा मुहर



बिहार राज्य भंडार निगम

ANNEXURE-III

एकरारनामा

निविदोपरांत अंतिम रूप से सफल/चयनित निविदादाता एवं निगम प्रबंधन/प्राधिकृत पदाधिकारी के साथ रु. 1,000.00 (एक हजार) के नन ज्युडिशियल स्टाम्प पर एकरारनामा निगम के निर्धारित प्रपत्र में सम्पादित किया जाएगा।



बिहार राज्य भण्डार निगम

ANNEXURE-IV

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या- TH-04/2025-26
Notice Inviting Tender (NIT) No.- TH-04/2025-26

वित्तीय बोली

(Financial Bid)

बिहार राज्य के अंतर्गत विभिन्न भंडारगृहों/गोदामों/ केंद्रों हेतु
खाद्यान्न/उर्वरक के परिवहन एवं हथालन कार्य के लिये



Financial Bid (वित्तीय बोली)
PRICE BID FOR FOOD GRAINS

PRICE BID FOR FOOD GRAINS
SCHEDULE OF RATES AND SERVICES FOR HANDLING &
TRANSPORT CONTRACTOR AT BSWC

Sl. No.	Description of Services	Rate per Hundred Bags		
		For Bags weighing upto 40 Kg	For Bags weighing upto 50 Kg	For Bags weighing more than 50 Kg
1	(a) For unloading food grain bags from wagons / trucks or any other transport vehicles/container or removing stock from platform to godown (in case of CMR) and stacking the bags in the Shed on the Platform / ground or vice-versa as mentioned in NIT/MTF	Rs. 102.86 (Rupees One Hundred Two & Paise Eighty-Six) Only	Rs. 155.21 (Rupees One Hundred Fifty-Five & Paise Twenty-One) Only	Rs. 233.76 (Rupees Two Hundred Thirty-Three & Paise Seventy-Six) Only
	(b) For unloading food grains bags from wagons/trucks or any other transport vehicles/container and directly loading on trucks/any other transport vehicles/into wagons as mentioned in NIT/MTF	Rs. 205.71 (Rupees Two Hundred Five & Paise Seventy-One) Only	Rs. 310.43 (Rupees Three Hundred Ten & Paise Forty-Three) Only	Rs 467.52 (Rupees Four Hundred Sixty-Seven & Paise Fifty-Two) Only
2	For transporting food grains bags to and from Railheads to the following godowns mentioned in NIT/MTF			
(i)	Ex-Railway siding	This will be as per Transporting Schedule given in table Prescribed to Clause No. 7 of Price Bid on actual distance of transportation.		
(ii)		Rs. Per MT		
(iii)		Rs. Per MT		
(iv)		Rs. Per MT		
3	For unloading food grains bags from wagons / trucks / any other transport vehicles/container, stacking them on the platform / ground if necessary, carrying by head-load / change of head load or wherever necessary by using and-trolleys, carts etc.; and stacking them inside the godowns after stacking the bags wherever necessary on the platform / ground as mentioned in NIT/MTF.			
(i) In the form of conventional stack: -				
(a)	Up to 10 high.	Rs. 182.48 (Rupees One Hundred Eighty-Two & Paise Forty-Eight) Only	Rs. 275.38 (Rupees Two Hundred Seventy-Five & Paise Thirty-Eight) Only	Rs 414.74 (Rupees Four Hundred Fourteen & Paise Seventy-Four) Only
(b)	Up to 16 high (for actual number of bags stacked over 10 high)	Rs.221.47 (Rupees Two	Rs.331.79 (Rupees Three	Rs. 497.69 (Rupees Four



		Hundred Twenty-One & Paisa Forty-Seven) Only	Hundred Thirty-One & Paisa Seventy-Nine) Only	Hundred Ninety-Seven & Paisa Sixty-Nine) Only
(c)	Up to 20 high (for actual number of bags stacked over 16 high)	Rs. 257.14 (Rupees Two Hundred Fifty-Seven & Paisa Fourteen) Only	Rs.386.53 (Rupees Three Hundred Eighty-Six & Paisa Fifty-Three) Only	Rs.580.63 (Rupees Five Hundred Eighty & Paisa Sixty-Three) Only
(d)	Beyond 20 high (for actual number of bags stacked above 20 high)	Rs. 298.56 (Rupees Two Hundred Ninety-Eight & Paisa Fifty-Six) only	Rs. 450.31 (Rupees Four Hundred Fifty & Paisa Thirty-One) only	Rs. 677.40 (Rupees Six Hundred Seventy Seven & Paisa Forty only
(ii) In the form of a side wall or flat storage: -				
(a)	Up to 10 high.	Rs. 132.71 (Rupees One Hundred Thirty-Two & Paisa Seventy-One) Only	Rs. 199.07 (Rupees One Hundred Ninety-Nine & Paisa Seven) Only	Rs. 298.61 (Rupees Two Hundred Ninety-Eight & Paisa Sixty-One) Only
(b)	Up to 16 high (for actual number of bags stacked over 10 high)	Rs. 168.38 (Rupees One Hundred Sixty-Eight & Paisa Thirty-Eight) Only	Rs. 253.82 (Rupees Two Hundred Fifty-Three & Paisa Eighty-Two) Only	Rs. 381.56 (Rupees Three Hundred Eighty-One & Paisa Fifty-Six) Only
(c)	Up to 20 high (for actual number of bags stacked over 16 high)	Rs. 204.88 (Rupees Two Hundred Four & Paisa Eighty-Eight) Only	Rs. 308.56 (Rupees Three Hundred Eight & Paisa Fifty-Six) Only	Rs. 464.51 (Rupees Four Hundred Sixty-Four & Paisa Fifty-One) Only
(d)	Beyond 20 high (for actual number of bags stacked above 20 high)	Rs. 249.28 (Rupees Two Hundred Forty-Nine & Paisa Twenty-	Rs. 375.11 (Rupees Three Hundred Seventy-Five & Paisa Eleven) only	Rs. 565.49 (Rs. Five Hundred Sixty-Five & Paisa Forty-Nine) only



		Eight) only		
4	For unloading food grains bags from wagons / trucks / any other transport vehicles/container, stacking the bags, wherever necessary on the platform / ground, carrying the bags to the flat storage pit carrying by head loads or change of head loads or where necessary by using hand trolleys, carts etc.; cutting open the mouth of the bags and putting the loose grains into the pit including leveling and shoveling as mentioned in NIT/MTF.			
(a)	For baby bulk pit	Rs. 442.11 (Rupees Four Hundred Forty- Two & Paisa Eleven) Only	Rs. 663.59 (Rupees Six Hundred Sixty- Three & Paisa Fifty-Nine) Only	Rs. 995.37 (Rupees Nine Hundred Ninety- Five & Paisa Thirty-Seven) Only
(b)	For Regular flat storage pit inside the godowns	Rs. 442.11 (Rupees Four Hundred Forty- Two & Paisa Eleven) Only	Rs. 663.59 (Rupees Six Hundred Sixty- Three & Paisa Fifty-Nine) Only	Rs. 995.37 (Rupees Nine Hundred Ninety- Five & Paisa Thirty-Seven) Only
5	For carrying the bags of food grains from stacks by head loads or change of head loads or wherever necessary using hand trolleys carts etc.; and loading into wagons / trucks / any other transport vehicles/container, or putting them in a countable position after stacking the bags wherever necessary on the platform/ ground as mentioned in NIT/MTF.	Rs. 221.47 (Rupees Two Hundred Twenty-One & Paisa Forty- Seven) Only	Rs. 331.79 (Rupees Three Hundred Thirty-One & paisa Seventy- Nine) Only	Rs. 497.69 (Rupees Four Hundred Ninety- Seven & Paisa Sixty-Nine) Only
6	For carrying the food grains bags by means of trucks from the Railway siding to the Godowns exceeding 200 meters situated in the same premises or vice-versa as mentioned in NIT/MTF.	Rs. 85.61/ MT (Rupees Eighty-Five& Paisa Sixty-One) Only Remarks: - For Warfare contract, the above SOR will be applicable for transportation of stocks from Railway siding to different sheds within Depot as well as from shed-to-shed movement of stocks within depot also.		
7	For transporting the foodgrains bags by trucks / animal driven carts from one point to another point for which rates have not been specifically fixed, as mentioned in NIT/MTF.			
Sl. No.	Distance	Schedule of Rates		
i.	Upto 03 Km.	Rs. 40.63 per MT per KM		
ii	Above 03 K.M. to 05 K.M.	Rs. 37.26 Per MT Per KM subject to minimum of Rs. 121.87/- per MT for entire distance.		
iii.	Above 05 K.M. to 08 K.M.	Rs. 29.07 Per MT Per KM subject to minimum of Rs. 186.30/- per MT for entire distance.		
iv.	Above 08 K.M. to 10 K.M.	Rs. 24.67 Per MT Per KM subject to minimum of Rs. 232.56/- per MT for entire distance.		
v.	Above 10 Km. to 20 Km.	Rs. 18.48 per MT per KM subject to minimum of Rs. 246.70 per MT for entire distance.		



vi.	Above 20 Km. to 30 Km.	Rs. 13.28 per MT per KM subject to minimum of Rs. 369.60 per MT for entire distance.		
vii.	Above 30 Km. to 40 Km.	Rs. 10.59 per MT per KM subject to minimum of Rs. 398.40 per MT for entire distance.		
viii.	Above 40 Km. to 80 Km.	Rs. 7.79 per MT per KM subject to minimum of Rs. 423.60/- per MT for entire distance.		
ix.	Beyond 80 Km.	Rs. 6.29 per MT per KM subject to minimum of Rs. 623.20/- per MT for entire distance.		
<p>The minimum amount admissible under any slab shall be equal to the maximum amount admissible for the identical goods under the immediate lower slab. For instance, for any distance falling under slab-2 i.e. above 3 K.M to 5 K.M the minimum remuneration shall be equal to that of admissible for the transport of identical goods over a distance of 3 K. M. which would determine maximum amount admissible under slab-1 i.e. 1 KM to 3 KM.</p>				
8	For weighment of food grains (as mentioned in NIT/MTF.	Rs. 72.15 (Rupees Seventy-Two & Paise Fifteen) Only	Rs. 109.48 (Rupees One Hundred Nine & Paise Forty-Eight) Only	Rs. 165.89 (Rupees One Hundred Sixty-Five & Paise Eighty-Nine) Only
<p>Note: Whenever weighment is done in conjunction with any other services(s), the weighment charges will be paid in addition for the number of bags actually weighed, provided always that the contractors shall not use their own weighing scales, where the same are available with the Corporation and the contractors shall be liable to pay a hire charge per scale per month or part of a month as indicated below: -</p>				
(a)	Beam Scale	Rs. 33.18 (Rupees Thirty-Three & Paise Eighteen) Only		
(b)	Weighing machine	Rs. 414.74 (Rupees Four Hundred Fourteen & Paise Seventy-Four) Only		
9	For removing the food grains bags from the stack in the same or any other godowns or from the side wall of a flat storage, cutting open the mouth of bags and putting the grains into the flat storage including leveling and shoveling as mentioned in NIT/MTF.			
(a)	For baby bulk pit	Rs. 118.61 (Rupees One Hundred Eighteen & Paise Sixty-One) Only	Rs. 179.16 (Rupees One Hundred Seventy-Nine & Paise Sixteen) Only	Rs. 269.58 (Rupees Two Hundred Sixty-Nine & Paise Fifty-Eight) Only
(b)	For regular flat storage inside the godown	Rs. 118.61 (Rupees One Hundred Eighteen & Paise Sixty-One) Only	Rs. 179.16 (Rupees One Hundred Seventy-Nine & Paise Sixteen) Only	Rs. 269.58 (Rupees Two Hundred Sixty-Nine & Paise Fifty-Eight) Only
10	For filling gunnies up to a prescribed weight with loose grain taken from the flat storage stitching the gunnies as mentioned in NIT/MTF.			
(I)	Stacking in the same godowns: -			



(a)	Up to 10 high	Rs. 321.00 (Rupees Three Hundred Twenty-One) Only	Rs. 481.10 (Rupees Four Hundred Eighty-One & Paisa Ten) Only	Rs. 719.98 (Rupees Seven Hundred Nineteen & Paisa Ninety-Eight) Only
(b)	Up to 16 high (for actual number of bags stacked over 10 high)			
(c)	Up to 20 high (for actual number of bags stacked over 16 high)			
(d)	Beyond 20 high (for actual number of bags stacked above 20 high)			
OR				
(ii)	Stacking in another godowns: -			
(a)	Up to 10 high			
(b)	Up to 16 high (for actual number of bags stacked over 10 high)			
(c)	Up to 20 high (for actual number of bags stacked over 16 high)			
(d)	Beyond 20 high (for actual number of bags stacked above 20 high)			
OR				
(iii)	Loading into wagons / trucks / any other vehicles/container or placing bags outside the godowns in a countable position.			
PART-II OTHER SERVICES				
11	PHYSICAL VERIFICATION: -			
For breaking the stacks, weighing the bags and restacking the bags as mentioned in NIT/MTF.				
(i)	In the same godowns or outside the godowns: -			
(a)	Up to 10 high	Rs. 293.63 (Rupees Two Hundred Ninety-Three & Paisa Sixty-Three) Only	Rs. 441.28 (Rupees Four Hundred Forty-One & Paisa Twenty Eight) Only	Rs. 663.59 (Rupees Six Hundred Sixty-Three & Paisa Fifty-Nine) Only
(b)	Up to 16 high (for actual number of bags stacked over 10 high)	Rs. 331.79 (Rupees Three Hundred Thirty-One & Paisa Seventy-Nine) Only	Rs. 497.69 (Rupees Four Hundred Ninety-Seven & Paisa Sixty-Nine) Only	Rs. 746.53 (Rupees Seven Hundred Forty-Six & Paisa Fifty-Three) Only
(c)	Up to 20 high (for actual number of bags stacked over 16 high)	Rs. 367.46 (Rupees Three Hundred Sixty-Seven & Paisa Forty-Six) Only	Rs. 552.43 (Rupees Five Hundred Fifty-Two & Paisa Forty-Three) Only	Rs. 829.48 (Rupees Eight Hundred Twenty-Nine & Paisa Forty-Eight) Only
(d)	Beyond 20 high (for actual number of bags	Rs. 406.96	Rs. 613.19	Rs. 921.64



	stacked above 20 high)	(Rupees Four Hundred Six & Paisa Ninety-Six) only	(Rupees Six Hundred Thirteen & Paisa Nineteen) Only	(Rupees Nine Hundred Twenty-One & Paisa Sixty-Four) only
(ii)	In other godowns: -			
(a)	Up to 10 high	Rs. 331.79 (Rupees Three Hundred Thirty-One & Paisa Seventy-Nine) Only	Rs. 497.69 (Rupees Four Hundred Ninety-Seven & Paisa Sixty-Nine) Only	Rs. 746.53 (Rupees Seven Hundred Forty-Six & Paisa Fifty-Three) Only
(b)	Up to 16 high (for actual number of bags stacked over 10 high)	Rs. 367.46 (Rupees Three Hundred Sixty-Seven & Paisa Forty-Six) Only	Rs. 552.43 (Rupees Five Hundred Fifty-Two & Paisa Forty-Three) Only	Rs. 829.48 (Rupees Eight Hundred Twenty-Nine & Paisa Forty-Eight) Only
(c)	Up to 20 high (for actual number of bags stacked over 16 high)	Rs. 403.95 (Rupees Four Hundred Three & Paisa Ninety-Five) Only	Rs. 607.18 (Rupees Six Hundred Seven & Paisa Eighteen) Only	Rs. 912.43 (Rupees Nine Hundred Twelve & Paisa Forty-Three) Only
(d)	Beyond 20 high (for actual number of bags stacked above 20 high)	Rs. 444.07 (Rupees Four Hundred Forty-Seven & Paisa Seven) only	Rs. 667.34 (Rupees Six Hundred Sixty-Seven & Paisa Thirty-Four) only	Rs. 1003.67 (Rupees One Thousand Three & Paisa Sixty-Seven) only
12	STANDARDISATION: -			
	For Standardization of bags as mentioned in NIT/MTF.			
(i)	Stacking in the same Godowns:			
(a)	Up to 10 high	Rs. 257.14 (Rupees Two Hundred Fifty-Seven & Paisa Fourteen) Only	Rs. 386.53 (Rupees Three Hundred Eighty-Six & Paisa Fifty-Three) Only	Rs. 580.63 (Rupees Five Hundred Eighty & Paisa Sixty-Three) Only
(b)	Up to 16 high (for actual number of bags stacked over 10 high)	Rs. 293.63 (Rupees Two Hundred Ninety-Three & Paisa Sixty-Three) Only	Rs. 441.28 (Rupees Four Hundred Forty-One & Paisa Twenty-Eight) Only	Rs. 663.59 (Rupees Six Hundred Sixty-Three & Paisa Fifty-Nine) Only
(c)	Up to 20 high (for actual number of bags stacked over 16 high)	Rs. 331.79 (Rupees Three Hundred Thirty-One & Paisa Seventy-Nine)	Rs. 497.69 (Rupees Four Hundred Ninety-Seven & Paisa Sixty-Nine)	Rs. 746.53 (Rupees Seven Hundred Forty-Six & Paisa Fifty-Three)



		Only	Nine) Only	Only
(d)	Beyond 20 high (for actual number of bags stacked above 20 high)	Rs. 374.91 (Rupees Three Hundred Seventy-Four & Paisa Ninety-One) only	Rs. 561.31 (Rupees Five Hundred Sixty-One & Paisa Thirty-One) Only	Rs. 839.85 (Rupees Eight Hundred Thirty-Nine & Paisa Eighty-Five) only
(ii)	Stacking in another godowns:			
(a)	Up to 10 high	Rs. 293.63 (Rupees Two Hundred Ninety-Three & Paisa Sixty-Three) Only	Rs. 441.28 (Rupees Four Hundred Forty-One & Paisa Twenty-Eight) Only	Rs. 663.59 (Rupees Six Hundred Sixty-Three & Paisa Fifty-Nine) Only
(b)	Up to 16 high (for actual number of bags stacked over 10 high)	Rs. 331.79 (Rupees Three Hundred Thirty-One & Paisa Seventy-Nine) Only	Rs. 497.69 (Rupees Four Hundred Ninety-Seven & Paisa Sixty-Nine) Only	Rs. 746.53 (Rupees Seven Hundred Forty-Six & Paisa Fifty-Three) Only
(c)	Up to 20 high (for actual number of bags stacked over 16 high)	Rs. 364.13 (Rupees Three Hundred Sixty-Four & Paisa Thirteen) Only	Rs. 552.43 (Rupees Five Hundred Fifty-Two & Paisa Forty-Three) Only	Rs. 837.78 (Rupees Eight Hundred Thirty-Seven & Paisa Seventy-Eight) Only
(d)	Beyond 20 high (for actual number of bags stacked above 20 high)	Rs. 399.63 (Rupees Three Hundred Ninety-Nine & Paisa Sixty-Three) Only	Rs. 613.19 (Rupees Six Hundred Thirteen & Paisa Nineteen) only	Rs. 940.17 (Rupees Nine Hundred Forty & Paisa Seventeen) only
OR				
(iii)	Loading into wagons / trucks / any other vehicles/container or placing the food grains bags outside the godown in a countable position.	Rs. 293.63 (Rupees Two Hundred Ninety-Three & Paisa Sixty Three) Only	Rs. 441.28 (Rupees Four hundred Forty-One & Paisa Twenty-Eight) Only	Rs. 663.59 (Rupees Six Hundred Sixty-Three & Paisa Fifty-Nine) Only
13	For filling gunnies with loose grains up to a prescribed weight and stitching the gunnies as mentioned in NIT/MTF.			
(i)	Stacking in the same godown: -			
(a)	Up to 10 high	Rs. 257.14 (Rupees Two Hundred Fifty-Seven & Paisa Fourteen) Only	Rs. 386.53 (Rupees Three Hundred Eighty-Six & Paisa Fifty-Three) Only	Rs. 580.63 (Rupees Five Hundred Eighty & Paisa Sixty-Three) Only



(b)	Up to 16 high (for actual number of bags stacked over 10 high)	Rs. 293.63 (Rupees Two Hundred Ninety-Three & Paise Sixty-Three) Only	Rs. 441.28 (Rupees Four Hundred Forty-One & Paise Twenty-Eight) Only	Rs. 663.59 (Rupees Six Hundred Sixty-Three & Paise Fifty-Nine) Only
(c)	Up to 20 high (for actual number of bags stacked over 16 high)	Rs. 331.79 (Rupees Three Hundred Thirty-One & Paise Seventy-Nine) Only	Rs. 497.69 (Rupees Four Hundred Ninety-Seven & Paise Sixty-Nine) Only	Rs. 746.53 (Rupees Seven Hundred Forty-Six & Paise Fifty-Three) Only
(d)	Beyond 20 high (for actual number of bags stacked above 20 high)	Rs. 374.91 (Rupees Three Hundred Seventy-Four & Paise Ninety-One) Only	Rs. 561.31 (Rupees Five Hundred Sixty-One & Paise Thirty-One) Only	Rs. 839.85 (Rupees Eight Hundred Thirty-Nine & Paise Eighty-Five) Only
(ii)	Stacking in another godown: -			
(a)	Up to 10 high	Rs. 293.63 (Rupees Two Hundred Ninety-Three & Paise Sixty-Three) Only	Rs. 441.28 (Rupees Four Hundred Forty-One & Paise Twenty-Eight) Only	Rs. 663.59 (Rupees Six Hundred Sixty-Three & Paise Fifty-Nine) Only
(b)	Up to 16 high (for actual number of bags stacked over 10 high)	Rs. 331.79 (Rupees Three Hundred Thirty-One & Paise Seventy-Nine) Only	Rs. 497.69 (Rupees Four Hundred Ninety-Seven & Paise Sixty-Nine) Only	Rs. 746.53 (Rupees Seven Hundred Forty-Six & Paise Fifty-Three) Only
(c)	Up to 20 high (for actual number of bags stacked over 16 high)	Rs. 367.46 (Rupees Three Hundred Sixty-Seven & Paise Forty-Six) Only	Rs. 552.43 (Rupees Five Hundred Fifty-Two & Paise Forty-Three) Only	Rs. 829.48 (Rupees Eight Hundred Twenty-Nine & Paise Forty-Eight) Only
(d)	Beyond 20 high (for actual number of bags stacked above 20 high)	Rs. 406.96 (Rupees Four Hundred Six & Paise Ninety-Six) Only	Rs. 613.19 (Rupees Six Hundred Thirteen & Paise Nineteen) Only	Rs. 921.64 (Rupees Nine Hundred Twenty-One & Paise Sixty-Four) Only
OR				
(iii)	Loading into wagons / trucks / any other vehicles/container or placing the food grains bags outside the godown in a countable position.	Rs. 293.63 (Rupees Two Hundred Ninety-Three & Paise Sixty-	Rs. 441.28 (Rupees Four Hundred Forty-One & Paise Twenty-Eight)	Rs. 663.59 (Rupees Six Hundred Sixty-Three & Paise Fifty-Nine) Only



		Three) Only	Only	
14	CLEANING: -			
	For carrying the bags from stacks in the godown (or from any other place in the godown premise) weighing them, passing the contents through sieves or cleaning machines filling the cleaned grains into the bags up to a prescribed weight, stitching the bags and then stacking as mentioned in NIT/MTF.			
(a)	Up to 10 high	Rs. 293.63 (Rupees Two Hundred Ninety-Three & Paisa Sixty-Three) only	Rs. 441.28 (Rupees Four Hundred Forty-One & Twenty-Eight) only	Rs. 663.59 (Rupees Six Hundred Sixty-Three & Paisa Fifty-Nine) only
(b)	Up to 16 high (for actual number of bags stacked over 10 high)	Rs. 324.33 (Rupees Three Hundred Twenty-Four & Paisa Thirty-Three) only	Rs. 497.69 (Rupees Four Hundred Ninety-Seven & Paisa Sixty-Nine) only	Rs. 763.12 (Rupees Seven Hundred Sixty-Three & Paisa Twelve) only
(c)	Up to 20 high (for actual number of bags stacked over 16 high)	Rs. 367.46 (Rupees Three Hundred Sixty-Seven & Paisa Forty-Six) only	Rs. 552.43 (Rupees Five Hundred Fifty-Two & Paisa Forty-Three) only	Rs. 829.48 (Rupees Eight Hundred Twenty-Nine & Forty-Eight) only
(d)	Beyond 20 high (for actual number of bags stacked above 20 high)	Rs. 416.33 (Rupees Four Hundred Sixteen & Paisa Thirty-Three) only	Rs. 613.19 (Rupees Six Hundred Thirteen & Paisa Nineteen) only	Rs. 901.60 (Rupees Nine Hundred One & Paisa Sixty) only
OR				
(E)	Loading into wagons / trucks / any other vehicles/container or placing the food grains bags outside the godown in a countable position.	Rs. 331.79 (Rupees Three Hundred Thirty-One & Paisa Seventy-Nine) only	Rs. 497.69 (Rupees Four Hundred Ninety-Seven & Paisa Sixty-Nine) only	Rs. 746.53 (Rupees Seven Hundred Forty-Six & Paisa Fifty-Three) only
15	DRYING:			
	For carrying the foodgrains bags from stacks in the godown or anywhere in the godown premise, cutting open the mouth of bags, spreading out the food grains and after drying, making them into a palla, filling the loose grains into empty gunnies up to a prescribed weight, stitching the bags and then stacking the bags in the same or another godown as mentioned in NIT/MTF.			
(a)	Up to 10 high	Rs. 293.63 (Rupees Two Hundred Ninety-Three & Paisa Sixty-Three) only	Rs. 441.28 (Rupees Four Hundred Forty-One & Twenty-Eight) only	Rs. 663.59 (Rupees Six Hundred Sixty-Three & Paisa Fifty-Nine) only
(b)	Up to 16 high (for actual number of bags stacked over 10 high)	Rs. 373.26 (Rupees Three	Rs. 497.69 (Rupees Four	Rs. 663.59 (Rupees Six



		Hundred Seventy-Three & Paisa Twenty-Six) only	Hundred Ninety-Seven & Paisa Sixty-Nine) only	Hundred Sixty-Three & Paisa Fifty-Nine) only
(c)	Up to 20 high (for actual number of bags stacked over 16 high)	Rs. 367.46 (Rupees Three Hundred Sixty-Seven & Paisa Forty-Six) only	Rs. 552.43 (Rupees Five Hundred Fifty-Two & Paisa Forty-Three) only	Rs. 829.48 (Rupees Eight Hundred Twenty-Nine & Paisa Forty-Eight) only
(d)	Beyond 20 high (for actual number of bags stacked above 20 high)	Rs. 361.74 (Rupees Three Hundred Sixty-One & Paisa Seventy-Four) only	Rs. 613.19 (Rupees Six Hundred Thirteen & Paisa Nineteen) only	Rs. 1036.85 (Rupees One Thousand Thirty-Six & Paisa Eighty-Five) only
OR				
(e)	Loading into wagons / trucks / any other vehicles/container or placing the food grains bags outside the godown in a countable position.	Rs. 331.79 (Rupees Three Hundred Thirty-One & Paisa Seventy-Nine) only	Rs. 497.69 (Rupees Four Hundred Ninety-Seven & Paisa Sixty-Nine) only	Rs. 746.53 (Rupees Seven Hundred Forty-Six & Paisa Fifty-Three) only
16	For re-bagging contents of unserviceable bags of loose grains into bags to a prescribed weight and stacking in the godown as mentioned in NIT/MTF.			
(a)	Up to 10 high	Rs. 257.14 (Rupees Two Hundred Fifty-Seven & Paisa Fourteen) only	Rs. 386.53 (Rupees Three Hundred Eighty-Six & Paisa Fifty-Three) only	Rs. 580.63 (Rupees Five Hundred Eighty & Paisa Sixty-Three) only
(b)	Up to 16 high (for actual number of bags stacked over 10 high)	Rs. 293.63 (Rupees Two Hundred Ninety-Three & Paisa Sixty-Three) Only	Rs. 441.28 (Rupees Four Hundred Forty-One & Paisa Twenty-Eight) Only	Rs. 663.59 (Rupees Six Hundred Sixty-Three & Paisa Fifty-Nine) Only
(c)	Up to 20 high (for actual number of bags stacked over 16 high)	Rs. 331.79 (Rupees Three Hundred Thirty-One & Paisa Seventy-Nine) Only	Rs. 497.69 (Rupees Four Hundred Ninety-Seven & Paisa Sixty-Nine) Only	Rs. 746.53 (Rupees Seven Hundred Forty-Six & Paisa Fifty-Three) Only
(d)	Beyond 20 high (for actual number of bags stacked above 20 high)	Rs. 374.91 (Rupees Three	Rs. 561.31 (Rupees Five	Rs. 839.85 (Rupees Eight



		Hundred Seventy-Four & Paisa Ninety-One) Only	Hundred Sixty-One & Paisa Thirty-One) Only	Hundred Thirty-Nine & Paisa Eighty-Five) Only
OR				
(e)	Loading into wagons / trucks / any other vehicles/container or placing the food grains bags outside the godown in a countable position.	Rs. 293.63 (Rupees Two Hundred Ninety-Three & Paisa Sixty-Three) Only	Rs. 441.28 (Rupees Four Hundred Forty-One & Twenty-Eight) Only	Rs. 663.59 (Rupees Six Hundred Sixty-Three & Paisa Fifty-Nine) Only
17	Additional charges for unloading / loading of open wagon as mentioned in NIT/MTF.	Rs. 35.67 (Rupees Thirty-Five & Paisa Sixty-Seven) Only	Rs. 54.74 (Rupees Fifty-Four & Paisa Seventy-Four) Only	Rs. 82.95 (Rupees Eighty-Two & Paisa Ninety-Five) Only
18	Additional charges for unloading / loading of box wagon as mentioned in NIT/MTF.	Rs. 52.25 (Rupees Fifty-Two & Paisa Twenty-Five) Only	Rs. 92.89 (Rupees Ninety-Two & Paisa Eighty-Nine) Only	Rs. 165.89 (Rupees One Hundred Sixty-Five & Paisa Eighty-Nine) Only
19	For breaking up the stacks and restacking as mentioned in NIT/MTF.			
(i)	In the same godown: -			
(a)	Up to 10 high	Rs. 146.81 (Rupees One Hundred Forty-Six & Paisa Eighty-One) Only	Rs. 220.64 (Rupees Two Hundred Twenty & Paisa Sixty-Four) Only	Rs. 331.79 (Rupees Three Hundred Thirty-One & Paisa Seventy-Nine) Only
(b)	Up to 16 high (for actual number of bags stacked over 10 high)	Rs. 146.81 (Rupees One Hundred Forty-Six & Paisa Eighty-One) Only	Rs. 220.64 (Rupees Two Hundred Twenty & Paisa Sixty-Four) Only	Rs. 331.79 (Rupees Three Hundred Thirty-one & Paisa Seventy-Nine) Only
(c)	Up to 20 high (for actual number of bags stacked over 16 high)	Rs. 221.47 (Rupees Two Hundred Twenty-One & Paisa Forty-Seven) Only	Rs. 331.79 (Rupees Three Hundred Thirty-One & Paisa Seventy-Nine) Only	Rs. 497.69 (Rupees Four Hundred Ninety-Seven & Paisa Sixty-Nine) Only
(d)	Beyond 20 high (for actual number of bags stacked above 20 high)	Rs. 334.08 (Rupees Three Hundred Thirty-Four & Paisa Eight) Only	Rs. 498.94 (Rupees Four Hundred Ninety-Eight & Paisa Ninety-Four) Only	Rs. 746.53 (Rupees Seven Hundred Forty-Six & Paisa Fifty-Three) Only
(ii)	In another godown: -			



(a)	Up to 10 high	Rs. 182.48 (Rupees One Hundred Eighty-Two & Paisa Forty-Eight) Only	Rs. 275.38 (Rupees Two Hundred Seventy-Five & Paisa Thirty-Eight) Only	Rs. 414.74 (Rupees Four Hundred Fourteen & Paisa Seventy-Four) Only
(b)	Up to 16 high (for actual number of bags stacked over 10 high)	Rs. 221.47 (Rupees Two Hundred Twenty-One & Paisa Forty-Seven) Only	Rs. 331.79 (Rupees Three Hundred Thirty-One & Paisa Seventy-Nine) Only	Rs. 497.69 (Rupees Four Hundred Ninety-Seven & Paisa Sixty-Nine) Only
(c)	Up to 20 high (for actual number of bags stacked over 16 high)	Rs. 257.14 (Rupees Two Hundred Fifty-Seven & Paisa Fourteen) Only	Rs. 386.53 (Rupees Three Hundred Eighty-Six & Paisa Fifty-Three) Only	Rs. 580.63 (Rupees Five Hundred Eighty & Paisa Sixty-Three) Only
(d)	Beyond 20 high (for actual number of bags stacked above 20 high)	Rs. 298.56 (Rupees Two Hundred Ninety-Eight & Paisa Fifty-Six) Only	Rs. 450.31 (Rupees Four Hundred Fifty & Paisa Thirty-One) Only	Rs. 677.40 (Rupees Six Hundred Seventy-Seven & Paisa Forty) Only
19. B	For removing of dumped bags from outside the godown/platform and stacking in the same or another godown as mentioned in NIT/MTF			
(a)	Up to 10 high	Rs. 107.16 (Rupees One Hundred Seven & Paisa Sixteen) Only	Rs. 159.17 (Rupees One Hundred Fifty-Nine & Paisa Seventeen) Only	Rs.236.40 (Rupees Two Hundred Thirty-Six & Paisa Forty) Only
(b)	Up to 20 high (for actual number of bags stacked over 16 high)	Rs. 139.47 (Rupees One Hundred Thirty-Nine & Paisa Forty-Seven) Only	Rs. 209.61 (Rupees Two Hundred Nine & Paisa Sixty-One) Only	Rs.315.20 (Rupees Three Hundred Fifteen & Paisa Twenty) Only
(c)	Up to 20 high (for actual number of bags stacked over 16 high)	Rs. 161.54 (Rupees One Hundred Sixty-One & Paisa Fifty-Four) Only	Rs. 252.16 (Rupees Two Hundred Fifty-Two & Paisa Sixteen) Only	Rs.394.00 (Rupees Three Hundred Ninety-Four) Only
(d)	Beyond 20 high (for actual number of bags stacked above 20 high)	Rs. 194.33 (Rupees One Hundred Ninety-Four & Paisa Thirty-Three) Only	Rs. 303.35 (Rupees Three Hundred Three & Paisa Thirty-Five) Only	Rs.473.99 (Rupees Four Hundred Seventy-Three & Paisa Ninety-Nine) Only



20	Removing / collecting scattered bags of food grains and stacking them as mentioned in NIT/MTF.			
(a)	Up to 10 high	Rs. 112.81 (Rupees One Hundred Twelve & Paise Eighty-One) Only	Rs. 167.55 (Rupees One Hundred Sixty-Seven & Paise Fifty-Five) Only	Rs. 248.85 (Rupees Two Hundred Forty-Eight & Paise Eighty-Five) Only
(b)	Up to 16 high (for actual number of bags stacked over 10 high)	Rs. 146.81 (Rupees One Hundred Forty-Six & Paise Eighty-One) Only	Rs. 220.64 (Rupees Two Hundred Twenty & Paise Sixty-Four) Only	Rs. 331.79 (Rupees Three Hundred Thirty-One & Paise Seventy-Nine) Only
(c)	Up to 20 high (for actual number of bags stacked over 16 high)	Rs. 170.04 (Rupees One Hundred Seventy & Paise Four) Only	Rs. 265.44 (Rupees Two Hundred Sixty-Five & Paise Forty-Four) Only	Rs. 414.74 (Rupees Four Hundred Fourteen & Paise Seventy-Four) Only
(d)	Beyond 20 high (for actual number of bags stacked above 20 high)	Rs. 196.95 (Rupees One Hundred Ninety-Six & Paise Ninety-Five) Only	Rs. 319.32 (Rupees Three Hundred Nineteen & Paise Thirty-Two) Only	Rs. 518.42 (Rupees Five Hundred Eighteen & Paise Forty-Two) Only
21	Removing / collecting empty bags bundling them as stacking the bundles in the godowns as mentioned in NIT/MTF.	Rs. 82.95 Per 100 B/S		
22	For stenciling of bags as mentioned in NIT/MTF.	Rs. 82.95 Per 100 B/S		
23	For trucks supplied for waraferi with two warners as mentioned in NIT/MTF.			
(a)	For full day over 5 hours and up to 8 hrs. (per 3-ton trucks)	Rs. 3483.81 (Rupees Three Thousand Four Hundred Eighty-Three & Paise Eighty-One) Only per 10 MT Truck		
(b)	For half day up to 5 hours (per 3-ton trucks)	Rs. 2488.44 (Rupees Two Thousand Four Hundred Eighty-Eight & Paise Forty-Four) Only per 10 MT Truck		
24	For supply of casual labour as mentioned in NIT/MTF.			
(i)	Male/Female labour per head per day.	As per daily minimum wages fixed from time to time by the Govt. of Bihar/Jharkhand (as applicable) & No. SOR will be allowed and reimbursable Statutory obligations like contribution/payment towards EPF, ESI etc. as applicable.		
(ii)	Male/Female labour per head per half day (up to 5 hrs.).			
(iii)	Male labour per head per night.			
25	Loading of crates			



(i)		
(a)		
(b)	Unloading and stacking of crates	
(ii)	Loading of Tarpaulins / gunny bales or fumigation covers.	
(a)		
(b)	Unloading and stacking of Tarpaulins/ gunny bales / fumigation covers.	
26	Transfer / shifting of bags from one truck / vehicle to the other truck / vehicle as mentioned in NIT/MTF.	
(a)		
26	Any other required work including dusting, fumigation, brushing, spraying or pumping cyanogas with foot pump etc.	As per daily minimum wages fixed from time to time by the Government of Bihar /Jharkhand (as applicable) and no SOR will be allowed.
(b).		



Financial Bid Form		
To BE Filled In By Bidder		
Name of Warehouse/Centre/Godown	:	
Turn over in last two years (Approx)		
Name of the Bidder	:	
Address of Bidder	:	
Telephone/Mobile No. of Bidder	:	
E-Mail Address	:	
Quoted Percentage Rate	In Figures	
	In Words	
Above or Below or at the SOR rate	:	



PRICE BID FOR FERTILIZER			
SCHEDULE OF RATES AND SERVICES FOR HANDLING & TRANSPORT CONTRACTOR AT BSWC			
Sr. No. A	Services/ Work items	RATE PER BAG of fertilizer (Rs.)	
		Up to 25 Kgs.	Above 25 Kg. & up to 50 Kgs.
1.	Unloading form wagons, stacking on the platform and loading into trucks OR directly loading into trucks after proper accountal, transportation to the BSWC warehouse/unloading from trucks and stacking within the godown up to prescribed height as directed by Warehouse Manager or any officer authorized on his behalf in the godown.		
2.	Unloading from wagons, stacking on the platform and loading into parties trucks/after proper accountal or directly loading into trucks, at the Railway siding/good shed for direct deliveries.		
3.	Unloading from trucks, stacking in the godown/warehouse; up to prescribed height as directed by warehouse Manager or by any officer authorized on his behalf.		
4.	De-stacking in the godown loading into trucks of the party for delivery as directed by Warehouse Manager or an Officer acting on his behalf.		
5.	REBAGGING OR STANDARDISATION.		
6.	SHIFTING OF BAGS (Internet handling)		
(a)	For breaking up the stacks and restacking in the same godown		
(b)	For breaking up the stack carrying the bags by head load/ hand trolley and stacking in the other godown situated in the same premises.		
B.	TRANSPORTATION	Rate per MT Net weight (in Rs.)	
7.	Transportation & loading/ unloading/ stacking of fertilizer bags within the warehouse premises from BSWC/ Railway siding or Vice-versa.		
8.	Transportation of Fertilizer bags from the Railway goods shed/ Railway siding/ BSWC's warehouse to any destination within the distance as given below.	Rate per MT Net weight (in Rs.)	
(a)	Up to 05 Kms.		
(b)	Up to 10 Kms.		
(c)	Up to 20 Kms.		
(d)	Up to 30 Kms.		
(e)	Up to 50 Kms.		
(f)	Up to 70 Kms.		
(g)	Up to 100 Kms.		

1. I/We agree to keep the offer open for acceptance up to and inclusive the date under column-C (at invitation to tender). I/We shall be bound by communication of acceptance of the offer dispatched within the time and I/We also agree that if the date up to which the offer would remain open, declared a holiday for the Corporation the offer will remain open for acceptance till the next working day.
2. Earnest Money as required has been transmitted through e-payment gateway/challan amounting to Rs. Rs. (Rupees))

The DD No. dt..... of the (name of Bank) for Rs. (Rupees) is enclosed as Earnest Money. In



the event of my/our tender being accepted I/we agree to furnish the Security Deposit as prescribed.

1. I/We do hereby declare that the entries made in the tender and appendices are true and also that I / we shall be bound by the act of my/ our duly constituted attorney Sh. whose signature is mentioned in the space specified for the purpose and of any other person who in future may be appointed by me/us in his stead to carry on the business of the concern whether any intimation of such change is given to the Divisional Manager, BSWC, RO, / Warehouse Manager or not.
2. Following documents have been uploaded with the tender.
 - i.
 - ii.
 - iii.
 - iv.
 - v.

Yours faithfully

Signature of the Tenderer
(Capacity in which signing)

Signature of the Constituted Attorney

Name:

Address:

Date:

Signature of the witness

Name:

Address

Date:

Name:

Address:

- Note:
- a) Please encloses the Cash Receipt of the Tender supplied on payment.
 - b) In the event of any controversy on the interpretation of English and Hindi version of any clause English version shall prevail.
 - c) The rates for various services on the basis of net weight only and payment shall be made on net weight basis only.

Name:

Address: date:



नोट:- खाद्यान्न/उर्वरक के परिवहन के लिए अनुसूची 2,3 और 7 में वर्णित चीजों के लिए नियम एवं शर्तें।

भाग (1) एवं भाग (2) में दिए गए सेवाओं के अतिरिक्त किसी भी तरह की आकस्मिक सेवा का भुगतान इस अनुबंध के नियम और शर्तों के तहत किया जाएगा।

खाद्यान्न के परिवहन की दर खाद्यान्न के कुल वजन के आधार पर है। खाद्यान्न से भरे बोरे में उसके गिन्नी बैग के वजन के बराबर हुए परिवहन के लिए अलग से कोई पारिश्रमिक देय नहीं है उसे खाद्यान्न के कुल वजन में शामिल माना जाएगा।

1. उर्वरक के परिवहन के लिए उर्वरक के बोरे का वजन नहीं किया जाएगा। इसे कंपनी द्वारा निर्धारित पैक किये गये मानक वजन के बराबर ही माना जाएगा एवं इसके परिवहन के पारिश्रमिक का भुगतान उसी आधार पर होगा।
2. उर्वरक का वजन सिर्फ मानकीकरण, रीबैगिंग जैसी सेवाओं के दौरान किया जाएगा जिसका भुगतान अनुसूचित दर (SOR) में दिये गये दर के अनुसार किया जाएगा।
3. परिवहन का पारिश्रमिक और भुगतान सिर्फ लोड गाड़ियों द्वारा तय की गई दूरी के लिए होगा।
4. वाहन द्वारा तय की गई दूरी में अगले किलोमीटर की दूरी किलोमीटर में पूर्ण नहीं की जाती है तो ऐसी परिस्थिति में 0.5 किलोमीटर से कम दूरी तय किये जाने पर पिछले किलोमीटर की राउंड अप दूरी मान्य होगी और 0.5 किलोमीटर से ज्यादा होने पर अगले किलोमीटर के आधार पर राउंड अप किया जाएगा एवं उसी अनुसार परिवहन का पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।
5. परिवहन की दूरी का निर्धारण PWD के मुख्य अभियंता या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी या बिहार राज्य भंडार निगम के गोदाम प्रबंधक या उनके द्वारा गठित टीम के जांच के बाद किया जाएगा।
6. ट्रक की गोदाम / रेलवे साइडिंग पर लोडिंग / अनलोडिंग या किसी भी कारण से ठहराव या देरी के लिए संवेदक/अधिकर्ता को किसी भी तरह का मुआवजा दिये जाने के योग्य नहीं माना जाएगा जब तक की इस तरह की देरी का कोई विशेष कारण नहीं हो, ऐसे में गोदाम प्रबंधक द्वारा तय की गयी मुआवजा राशि अन्तिम और संवेदक/अधिकर्ता को स्वीकार्य होगी।



निविदा/निविदादाता संबंधी विवरण प्रपत्र

1)	निविदादाता का नाम	
2)	निविदादाता का स्वरूप (व्यक्तिगत/फर्म/कम्पनी/समिति का नाम	
3)	आधार कार्ड संख्या	
4)	निविदादाता/संस्थान का पैन कार्ड की संख्या	
5)	निविदादाता का राष्ट्रीयता	
6)	निविदादाता का मोबाईल संख्या	
7)	निविदादाता का ई-मेल संख्या	
8)	निविदादाता का स्थायी पता	
9)	निविदादाता का पत्राचार का पता	
10)	निविदित/आवेदित केन्द्र का नाम	
11)	Internet Payment Gateway (IPG)/Challan के माध्यम से समर्पित निविदा प्रपत्र (BOQ) का UTR No. & Date	
12)	Internet Payment Gateway (IPG)/Challan के माध्यम से समर्पित निविदा प्रपत्र (BOQ) के बैंक का नाम	
13)	Internet Payment Gateway (IPG)/Challan के माध्यम से समर्पित अग्रधन राशि (EMD) का UTR No. & Date	
14)	Internet Payment Gateway (IPG)/Challan के माध्यम से समर्पित अग्रधन राशि (EMD) के बैंक का नाम	
15)	Internet Payment Gateway (IPG)/Challan के माध्यम से बेल्ट्रॉन को समर्पित Bid Processing Fee की विवरणी	

- 1) अद्योहस्ताक्षरी ने तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से समर्पित किया है।
- 2) अद्योहस्ताक्षरी ने वांछित निविदा प्रपत्र मूल्य (BOQ) एवं अग्रधन राशि (EMD) तथा Bid Processing जमा किया है।
- 3) अद्योहस्ताक्षरी ने वांछित कागजात/प्रमाण पत्र/शपथ पत्र आदि समर्पित किया है।
- 4) मैंने वर्तमान निविदा/संबंधित NIT/MTF को पूर्ण रूप से पढ़ और समझ लिया है। इससे संबंधित अधिनियम/नियम/प्रावधानों तथा निदेशों एवं शर्तों आदि का पालन करूँगा।
- 5) यदि समर्पित कागजात/प्रमाण पत्र/शपथ पत्र आदि गलत/जाली/हेराफेरी/अनियमित पाया जाता है तो मैं कानूनी कार्रवाई का भागीदार होऊँगा।



निविदादाता का हस्ताक्षर व मुहर

बिहार राज्य भंडार निगम, पटना

बिहार राज्य भंडार निगम अन्तर्गत भंडारगृह/केन्द्र के लिए परिवहन एवं हथालन सम्बेदक के नियोजन हेतु
समर्पित आवश्यक कागजात का विवरणी

निविदादाता/सम्बेदक का नाम:-

निविदित भंडारगृह/केन्द्र का नाम:-

क्र.सं.	कागजात का नाम	पृष्ठ संख्या	
		से	तक
1	भारतीय नागरिक होने का शपथ पत्र		
2	आधार कार्ड की स्वहस्ताक्षरित प्रति।		
3	सम्बेदक का व्यक्तिगत/फर्म/कम्पनी/समिति का पैन कार्ड की स्वहस्ताक्षरित प्रति		
4	स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट आकार का दो फोटो।		
5	संस्थान/फर्म के सभी सहभागी (पार्टनर/सदस्य/डायरेक्टर) का आचरण प्रमाण पत्र		
6	आवासीय प्रमाण पत्र		
7	GST निबंधन प्रमाण पत्र		
8	एकल/व्यक्तिगत मालिक होने शपथ पत्र।		
9	फर्म/कम्पनी एवं समिति की स्थिति में निम्नानुसार कागजात की स्वहस्ताक्षरित प्रति :-		
	a) फर्म के लिए रजिस्टर्ड पार्टनरशीप डीड।		
	b) कम्पनी के लिए Registrar of Company द्वारा निर्गत Certificate of Incorporation तथा Memorandum of Association एवं Article of Association और Resolution.		
	c) समिति के लिए समिति का Registration Certificate एवं उसका अद्यतन निर्वाचन प्रमाण पत्र, Bye Laws तथा उसका Resolution.		



	d) संस्थान के प्रतिनिधि के रूप में निविदादाता होने की स्थिति में प्राधिकृति पत्र/पावर ऑफ अटॉर्नी संलग्न करना होगा।		
10	स्वामित्व वाले एवं एकरारनामा वाले टूकों का विवरणी एवं वांछित कागजात		
11	आयकर रिटर्न		
12	वार्षिक टर्न ओवर		
13	अनुभव प्रमाण पत्र		
14	निविदादाता का EPF कोड संख्या होने का प्रमाण पत्र		
15	(i) निगम के कर्मी/पदाधिकारी से संबंधी/रिश्तेदार नहीं होने का शपथ पत्र		
	(ii) सजायाफ्ता/सिद्ध दोषी/सरकारी राशि के दुरुपयोग/गबन के दोषी, किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थान द्वारा काली सूचीबद्ध/प्रतिबंधित/अनर्हित नहीं होने का शपथ पत्र।		
16	Internet Payment Gateway (IPG)/Challan के माध्यम से https://eproc2.bihar.gov.in पर निविदा प्रपत्र (BOQ) का राशि भुगतान विवरणी।		
17	Internet Payment Gateway (IPG)/Challan के माध्यम से https://eproc2.bihar.gov.in पर अग्रधन राशि (EMD) का राशि भुगतान विवरणी।		
18	निविदादाता/सम्बेदक एवं उनके संस्थान के सभी सहभागियों (पार्टनर/डायरेक्टर/सदस्य) का विवरण संलग्न विहित प्रपत्र में समर्पित करना होगा।		
19	पावर ऑफ अटॉर्नी/प्राधिकृति पत्र (यदि लागू हो) संलग्न विहित प्रपत्र में जमा किया जाना चाहिए।		
20	निविदा/निविदादाता संबंधी विवरण प्रपत्र		

निविदादाता का हस्ताक्षर व मुहर